

भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14092026-276168
CG-DL-E-14092026-276168

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4675]

नई दिल्ली, बुधवार, सितंबर 2, 2026/ भाद्र 11, 1948

No. 4675]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 2, 2026/ BHADRA 11, 1948

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 सितंबर, 2026

का.आ. 4862(अ).— पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उप-धारा (3) के साथ पठित उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार प्रस्तावित निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना को जारी करने का प्रस्ताव करती है, और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) की अपेक्षानुसार उन लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित करती है, जिनकी इससे प्रभावित होने की संभावना है और एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर उस तारीख से साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके बाद विचार किया जाएगा जिस तारीख को इस अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं।

प्रारूप अधिसूचना में निहित प्रस्तावों के संबंध में आपत्ति या सुझाव देने में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति इन्हें लिखित रूप में यथा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर केंद्रीय सरकार के विचारार्थ सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को या इन्हें मंत्रालय के ई-मेल पते esz-mef@nic.in पर भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

जबकि, नागरहोल टाइगर रिजर्व, जिसका क्षेत्रफल 843.96 वर्ग किलोमीटर है, कर्नाटक राज्य के मैसूर जिले (हुनसुर, पेरियापटना और हेगडेदेवनकोट तालुकों) और कोडगु जिले (पोन्नमपेट और विराजपेट तालुकों) में स्थित है। यह 11°50'उत्तर अक्षांश और 12°25'उत्तर देशांतर तथा 75°54'पूर्व देशांतर और 76°18'पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। इस क्षेत्र को सर्वप्रथम वर्ष 1955 में नागरहोल वन्यजीव अभयारण्य के रूप में गठित किया गया था, जिसका क्षेत्रफल 285 वर्ग किलोमीटर था। बाद में, इसमें अतिरिक्त क्षेत्र सम्मिलित किए गए और वर्ष 1983 में 643.39 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के लिए अंतिम अधिसूचना जारी की गई, जिसमें इसे नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया। वर्ष 2002 में, राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र को बांदीपुर टाइगर रिजर्व के विस्तार के रूप में अधिसूचित किया गया था।

और चूंकि, नागरहोल टाइगर रिजर्व को 20 दिसंबर, 2007 को कोर/महत्वपूर्ण बाघ पर्यावास (सीटीएच) के रूप में अधिसूचित किया गया था। इसके अलावा, 562.41 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को 14 अगस्त, 2012 को नागरहोल टाइगर रिजर्व के बफर जोन के रूप में अधिसूचित किया गया था;

और चूंकि, नागरहोल टाइगर रिजर्व नीलगिरी जीवमंडल अभयारण्य (5500 वर्ग किमी) का हिस्सा है और मैसूर हाथी अभयारण्य का भी अभिन्न अंग है। यह एशियाई हाथियों के बहुत उच्च घनत्व को आश्रय देता है, जिसमें वयस्क नर हाथियों की संख्या काफी अधिक है, जो इसके पारिस्थितिक महत्व को दर्शाता है;

और चूंकि, नागरहोल टाइगर रिजर्व बांदीपुर टाइगर रिजर्व और केरल राज्य में वायनाड वन्यजीव अभयारण्य से सटा हुआ है, जिससे यह देश के सबसे बड़े वन्यजीव पर्यावास क्षेत्रों में से एक बन जाता है। यह टाइगर रिजर्व केरल के आरक्षित वनों के माध्यम से ब्रह्मगिरि वन्यजीव अभयारण्य से भी जुड़ा हुआ है। यह संपूर्ण क्षेत्र जंगली बाघों की एक स्वस्थ और व्यवहार्य आबादी का भी घर है;

और चूंकि, नागरहोल टाइगर रिजर्व कावेरी, लक्ष्मणतीर्थ और काबिनी नदियों की महत्वपूर्ण बारहमासी धाराओं और सहायक नदियों के जलग्रहण क्षेत्र के रूप में भी कार्य करता है। यह क्षेत्र जेनु कुरुबा, बेट्टा कुरुबा और येरवा वनवासी अनुसूचित जनजातियों का घर है;

और चूंकि, इस क्षेत्र में वनस्पतियों और जीवों की विविधता बहुत अधिक है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व के प्रमुख वनों को मोटे तौर पर दक्षिणी उष्णकटिबंधीय अर्ध-सदाबहार वनों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जो केरल के साथ पश्चिमी सीमा के किनारे छिटपुट रूप से पाए जाते हैं; दक्षिणी उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, जो हटघाट, नलकेरी, अरिकेरी और काकनकोट के दक्षिण-पश्चिमी भागों और मेटिकुप्पे के पश्चिमी भाग के आरक्षित वनों में पाए जाते हैं; और दक्षिणी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, जो मेटिकुप्पे, वीरानाहोसाहल्ली, कचुवनहल्ली और काकनकोट के कुछ हिस्सों के आरक्षित वनों तक सीमित हैं।

और चूंकि, इस क्षेत्र की वनस्पति में *शोरिया तालुरा*, *सैंटालम एल्बम*, *टर्मिनलिया चेबुला*, *एनोजिसस लैटिफोलिया*, *अज़ादिराच्चा इंडिका*, *क्लोरोक्सिलोन स्विग्टेनिया*, *एकेशिया ल्यूकोफ्लोआ*, *एकेशिया कैटेचू*, *स्टीरियोस्पर्मम चेलोनोइड्स*, *ज़िज़िफ़स एसपीएस*, *डायोस्पायरोस मेलनॉक्सिलोन*, *डायोस्पायरोस मोंटाना* आदि प्रजातियाँ सम्मिलित हैं। लैंटाना की झाड़ियाँ बड़े क्षेत्रों को ढक लेती हैं, जिनमें कुछ स्थानों पर *फीनिक्स एकौलिस* भी सम्मिलित है। *कैसिया टोरा*, *कैसिया ऑरिकुलाटा*, *डेस्मोडियम* आदि भी इस वनस्पति का हिस्सा हैं। *अकेशिया इंडिसिया* एक आम लता है। बांस आमतौर पर यहाँ नहीं पाए जाते हैं। इस प्रकार के जंगलों में चंदन बहुतायत में पाया जाता है।

और चूंकि, नागरहोल टाइगर रिजर्व की विविध जीव-जंतु विविधता इसके पारिस्थितिक भिन्नताओं के कारण है, जो राष्ट्रीय उद्यान के पूर्वी क्षेत्रों में शुष्क पर्णपाती वनों से लेकर राष्ट्रीय उद्यान के पश्चिमी भागों में उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वनों तक फैली हुई है। स्थानीय रूप से 'हडलस' कहलाने वाले अद्वितीय घास के दलदल ग्रीष्म ऋतु के शुष्क मौसम में शाकाहारी

जीवों के लिए चारा उपलब्ध कराते हैं। टाइगर रिजर्व की ऊंचाई 700 मीटर से 960 मीटर तक भिन्न होती है। इस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय जलवायु है और वर्षा 1000 मिमी से 1500 मिमी तक होती है।

और चूंकि, यह बाघों के संरक्षण के लिए वैश्विक बाघ पहल द्वारा मान्यता प्राप्त उच्च घनत्व वाले बाघ परिदृश्यों में से एक है। यह सात बड़े खुर वाले जानवरों की प्रजातियों जैसे चीतल, सांभर, चौसिंगा, गौर, मुंटेजैक, जंगली सूअर और हाथी के अक्षुण्ण समूह के लिए भी प्रसिद्ध सबसे समृद्ध वन्यजीव क्षेत्रों में से एक है;

और चूंकि, अन्य सामान्य रूप से पाए जाने वाले स्तनधारियों में बाघ, तेंदुआ, जंगली बिल्ली, तेंदुआ बिल्ली, मछली पकड़ने वाली बिल्ली, जंग लगी चित्तीदार बिल्ली, छोटी भारतीय सिवेट, सामान्य ताड़ सिवेट, सामान्य नेवला, धारीदार गर्दन वाला नेवला, भूरा नेवला, लाल नेवला, सियार ढोल या भारतीय जंगली कुत्ता, सुस्त भालू, सामान्य ऊदबिलाव, उड़ने वाली लोमड़ी, भारतीय विशाल गिलहरी, सामान्य विशाल उड़ने वाली गिलहरी, तीन धारीदार ताड़ गिलहरी, भारतीय साही, भारतीय खरगोश, हाथी, गौर, चार सींग वाला मृग, सांभर, चीतल, भौंकने वाला हिरण, चूहा हिरण, जंगली सूअर, भारतीय पैंगोलिन आदि भी टाइगर रिजर्व में बास करते हैं।

और चूंकि, टाइगर रिजर्व में पक्षियों की 330 प्रजातियां जैसे कि मालाबार पाइड हॉर्नबिल, मालाबार ट्रोगन, ग्रीन इंपीरियल पिजन, मोर, क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल, ऑस्प्रे, ग्रे जंगल फाउल, वूली नेकड स्टॉर्क, किंग वल्चर आदि, साथ ही गंभीर रूप से लुप्तप्राय लॉन्ग-बिल्ड और व्हाइट-रम्पड वल्चर भी दर्ज की गई हैं,

और चूंकि, महत्वपूर्ण तितली प्रजातियों में ट्री निम्फ, ब्लू टाइगर, कॉमन टाइगर, प्लेन टाइगर, कॉमन इंडियन क्रो, कॉमन फोर-रिंग, कॉमन इवनिंग-ब्राउन, टॉनी राजा, ग्रे काउंट, बैरोनेट, कलर सार्जेंट, कॉमन सार्जेंट, कॉमन सेलर, ग्रेट एग फ्लाई, डैनाइड एग फ्लाई, ग्रे पैंसी, चॉकलेट पैंसी, येलो पैंसी, ब्लू पैंसी, लेमन पैंसी, पीकाक पैंसी, स्मॉल लेपर्ड, एंगल्ड कैस्टर, पेल ग्रास ब्लू, ग्राम ब्लू, कॉमन बर्ड-विंग, क्रिमसन रोज़, कॉमन रोज़, कॉमन माइम, ब्लू मॉर्मन, रेड हेलेन, कॉमन मॉर्मन, लाइम बटरफ्लाई, मालाबार-बैंडेड स्वैलो-टेल, स्पेक्टेकल स्वॉर्ड-टेल, टेलड जे, कॉमन जेज़बेल, इंडियन कैबेज व्हाइट, ग्रेट ऑरेंज टिप, कॉमन एमिग्रेंट, कॉमन ग्रास येलो, आदि; सम्मिलित हैं।

और चूंकि, महत्वपूर्ण सरीसृप प्रजातियों में दलदली मगरमच्छ, भारतीय तालाब कछुआ, मॉनिटर छिपकली, गिरगिट, स्पेकटेक्लड कोबरा, रसेल वाइपर, सामान्य करैत, भारतीय रॉक अजगर और अन्य कई सांप, छिपकली और कछुए की प्रजातियां सम्मिलित हैं।

और चूंकि, प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ (आईयूसीएन) के अनुसार, नागराहूले टाइगर रिजर्व में कुछ प्रजातियां पाई जाती हैं जो गंभीर रूप से संकटग्रस्त, संकटग्रस्त, कमजोर और निकट संकटग्रस्त श्रेणियों में आती हैं, जिनमें बाघ (*पैंथेरा टाइग्रिस*), सामान्य तेंदुआ (*पैंथेरा पार्डस*), रस्टी स्पॉटेड कैट (*प्रियोनाइलुरस रुबिगिनोसस*), स्लॉथ भालू (*मेल्सर्स उर्सिनस*), एशियाई हाथी (*एलिफस मैक्सिमस*), गौर (*बोस गौरस*), सांभर (*सर्वस यूनिकोलर*), भारतीय पैंगोलिन (*मैनिस् क्रैसिकौडाटा*), तेंदुआ बिल्ली (*फेलिस बेंगालेंसिस*), चित्तीदार हिरण (*एक्सिस अक्ष*), जंगली बिल्ली (*फेलिस चाउस*), आम नेवला (*हर्पेस्टेस एडवर्ड्सि*), धारीदार गर्दन वाला नेवला (*हर्पीज टेस्विटिकोलिस*), सियार (*कैनिस् ऑरियस*), जंगली कुत्ता (*कुओन अल्पाइनस*), भारतीय साही (*हिस्ट्रिक्स इंडिका*), बार्किंग डियर (*मुंटियाकस मुंटेजैक*), माउस डियर (*ट्रैगुलस मेमिन्ना*), जंगली सूअर (*सुस स्क्रोफा*), पैंगोलिन (*मैनिस् क्रैसिकौडाटा*), फ्लाइंग फॉक्स (*पट्रोपस मोलरस*), स्मॉल इंडियन सिवेट (*विवर्रिकुला इंडिका*) आदि; पक्षी जैसे ग्रे फ्रंटेड ग्रीन पिजन (*ट्रेटोनपोम पैडोरा*), स्पॉटेड डव (*स्ट्रेप्टोपेलिया चिनेंसिस*), ब्लैक विंग्ड स्टिल्ट (*हिमंतोपस हिमंतोपस*), रेड वॉटलड लैपविंग (*वैनेल्लस मालाबारिकस*), लिटिल रिंगेड प्लोवर (*चारड्रियस ड्यूबियस*), ग्रीन शैंक (*ट्रिंगा क्रोपस*), वुड सैंडपाइपर (*ट्रिंगा ग्लेरियोला*), पिटेल स्निप (*गैलिना गोस्टेनुरा*), वुडकॉक (*स्कोलोपैक्स रस्टिकोला*), इंडियन लोरीकीट (*लोरिकुलस वर्नालिस*), नीले पंखों वाला तोता (*सिटकुला कोलुमोइडस*), कोयल (*यूडाइनामिस स्कोलोपेसिया*), क्रो फिजेंट (*सेंट्रोपस साइनेंसिस*) आदि;

सरीसृप जैसे मगरमच्छ (क्रोकोडायलस पलुस्ट्रिस), स्फेकटेक्लड कोबरा (नाजा नाजा), रॉक पायथन (पायथन मोलरस), रसेल वाइपर (वाइपर अरुस्ली), आदि; फूलों की प्रजातियाँ जैसे गुलगंजी (एब्रस प्रिकेटोरियस), बन्नी (बबूल फेरुगिनिया), सीज (बबूल कॉन्सिना), बिल्वापात्रे (एगल मार्मेलोस), वेज (अल्बिजिया लेबेवेक), चिगारे (अल्बिजिया अमारा), सीताफला (एनोना स्क्रामोसल), कडु-निम्बे (एरिस्टोलोसिया इंडिका), शथावरी (एस्पैरेगस रीसेमोसस), जगलगंती (डायस्पोरस मोंटाना), बेला (लिमोनिया एपिडिसिमा), नवीलादी (विटेक्स अल्टिसिमा), तापसी (ओलिना इंट्रिगफोलिया), एडाथला (वाचेली एनिलोटिका) आदि; जैसी प्रजातियाँ सम्मिलित हैं।

और चूँकि, नागरहोल टाइगर रिजर्व की सीमाओं के आसपास के क्षेत्र को, जिसे अनुच्छेद 1 में पारिस्थितिक, पर्यावरणीय और जैव विविधता के दृष्टिकोण से पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, संरक्षित और सुरक्षित करना आवश्यक है, और उक्त पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्ग और उनके संचालन और प्रक्रियाओं को प्रतिबंधित करना आवश्यक है;

अब, अतः पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के साथ पठित, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 (1986 का 29) (जिसे इस अधिसूचना में आगे पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की उपधारा (1) और धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा कर्नाटक राज्य में नागरहोल बाघ अभयारण्य की सीमा के आसपास 0 (शून्य) से 7.5 किमी तक के क्षेत्र को पारिस्थितिकी-संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'पारिस्थितिकी-संवेदी जोन' कहा जाएगा) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

1. नागरहोल टाइगर रिजर्व के पारिस्थितिकी-संवेदी जोन का विस्तार एवं सीमाएँ-

(1) नागरहोल टाइगर रिजर्व की सीमा के चारों ओर 0 (शून्य) से 7.5 किमी तक पारिस्थितिकी-संवेदी जोन होगा और पारिस्थितिकी-संवेदी जोन का क्षेत्रफल 573.959 वर्ग किमी है। विभिन्न दिशाओं में पारिस्थितिकी-संवेदी जोन का विस्तार नीचे दिया गया है:-

दिशा	संरक्षित क्षेत्र की सीमा से (किमी में)
उत्तर	1 - 6.9
उत्तर-पूर्व	5.20
पूर्व	7.4
दक्षिण-पूर्व	0
दक्षिण	0
दक्षिण-पश्चिम	0
पश्चिम	1
उत्तर-पश्चिम	24.08

पारिस्थितिकी-संवेदी जोन को शून्य रखने का औचित्य: केरल के साथ अंतरराज्यीय सीमा के कारण दक्षिण-पूर्व, दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम दिशाओं में पारिस्थितिकी-संवेदी जोन को शून्य (0 किमी) रखा गया है।

- पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में 101 गाँव (पूर्ण/आंशिक) सम्मिलित हैं, जिनका भौगोलिक क्षेत्रफल 271.61 वर्ग किमी है।
- नागरहोल टाइगर रिजर्व के पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के अधीन अधिसूचित आरक्षित वन क्षेत्रों का भौगोलिक क्षेत्रफल 302.36 वर्ग किमी है।
- नागरहोल टाइगर रिजर्व की सीमा से उत्तर दिशा में स्थित पड़ोसी आरक्षित वन क्षेत्रों की दूरी 23.6 किमी है।

(2) नागरहोल बाघ अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी-संवेदी जोन की सीमा का विवरण **अनुलग्नक-I** क और **अनुलग्नक-I** ख के रूप में संलग्न है।

(3) नागरहोल बाघ अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी-संवेदी जोन का मानचित्र **अनुलग्नक-II** के रूप में संलग्न है।

(4) नागरहोल टाइगर रिजर्व और पारिस्थितिकी-संवेदी जोन की सीमा के प्रमुख भौगोलिक निर्देशांकों की सूची **अनुलग्नक-III**क और **अनुलग्नक-III**ख के रूप में संलग्न है।

(5) प्रस्तावित पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में आने वाले गांवों की सूची **अनुलग्नक-IV** के रूप में संलग्न है।

(6) नागरहोल टाइगर रिजर्व के पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में सम्मिलित आस-पास के आरक्षित वन क्षेत्रों की सूची **अनुलग्नक-V** के रूप में संलग्न है।

2. नागरहोल टाइगर रिजर्व के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना -

(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना राज्य सरकार द्वारा इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तरीके के अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य कानूनों तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक-सिद्धांतों, यदि कोई हों, के अनुरूप तैयार की जाएगी।

(3) पारिस्थितिकीय और पर्यावरणीय तथ्यों को उक्त योजना में समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से आंचलिक महायोजना तैयार की जाएगी:-

- (i) पर्यावरण;
- (ii) वन और वन्यजीव;
- (iii) कृषि;
- (iv) राजस्व;
- (v) शहरी विकास;
- (vi) पर्यटन;
- (vii) ग्रामीण विकास;
- (viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
- (ix) नगरपालिका;

(x) पंचायती राज;

(xi) लोक निर्माण विभाग।

- (4) आंचलिक महायोजना में अनुमोदित वर्तमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाएगा जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आंचलिक महायोजना में सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में सुधार सम्मिलित होगा जो कि अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी अनुकूल हों।
- (5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, वर्तमान जल स्रोतों के संरक्षण, आसपास के क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं का प्रावधान होगा, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है।
- (6) आंचलिक महायोजना में वर्तमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं के व्यौरों से अनुसमर्थित मानचित्र के साथ सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और शहरी बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का सीमांकन किया जाएगा।
- (7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और पैरा 4 में सारणी में सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध, विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन करेगी और स्थानीय समुदायों की जीविका को सुरक्षित करने के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित करेगी और उसका संवर्धन करेगी।
- (8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी।
- (9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कार्यों को करने के लिए निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात: -

(1) **भू-उपयोग.-**

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या आवासीय या औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या परिवर्तन नहीं होगा:

बशर्ते कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर उपर्युक्त भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से पृथक प्रयोजनों के लिए कृषि और अन्य भूमि का परिवर्तन, निगरानी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, और इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसकी अनुमति दी गई है, जैसे:-

- (i) वर्तमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का निर्माण करना;
- (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
- (iv) कुटीर उद्योग सहित ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार, और स्थानीय सुविधाएं जिसके अधीन गृह वास सम्मिलित; और

(v) पैराग्राफ-4 के अधीन दिए गए संवर्धित क्रियाकलाप:

यह भी कि क्षेत्रीय नगर नियोजन अधिनियम और अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन बिना और संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अधीन अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, के अनुपालन के बिना वाणिज्यिक और औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर आने वाली भूमि के अभिलेखों में पाई जाने वाली किसी त्रुटि को, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जा सकेगा और उक्त त्रुटि को सुधारे जाने की सूचना केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा :

(ख) वनरोपण और आवास पुनर्स्थापन क्रियाकलापों के माध्यम से अप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों को पुनः वनरोपण करने का प्रयास किया जाएगा।

(2) प्राकृतिक जल स्रोत.- सभी प्राकृतिक जल स्रोतों/नदियों/नहरों के जलग्रहण क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनर्जीवन की योजनाएँ आंचलिक महायोजना में सम्मिलित किया जाएगी।

(3) पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन.- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या वर्तमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन से संबंधित पर्यटन महायोजना के अनुसार होगा।

(ख) पर्यटन महायोजना, राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभागों के परामर्श से राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जायेगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात्:-

- (i) टाइगर रिजर्व की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें से जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिजॉर्ट का नया निर्माण को अनुमति नहीं दी जाएगी; बशर्ते कि, टाइगर रिजर्व की सीमा रेखा से एक किलोमीटर की दूरी से परे और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, किसी नये होटल और रिजॉर्ट के निर्माण की कोई भी अनुमति पर्यटन महायोजना के अनुसार पारि-पर्यटन सुविधाओं के लिए केवल पूर्व निर्धारित क्षेत्रों में ही अनुमत होगी।
- (ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या वर्तमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारि-पर्यटन संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांत (समय-समय पर यथा संशोधित) जिसमें पर्यावरण-पर्यटन पर विशेष जोर दिया जाएगा।
- (iii) जब तक इस आंचलिक महायोजना को अनुमोदित नहीं कर दिया जाता तब तक पर्यटन के विकास और वर्तमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार की कोई भी अनुमति संबंधित विनियामक प्राधिकरणों के द्वारा ही दी जाएगी, जो कि निगरानी समिति की वास्तविक स्थल विशिष्ट वास्तविक संवीक्षा और संस्तुति पर आधारित होगी और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल, रिजॉर्ट या वाणिज्यिक स्थापना के

निर्माण की अनुमति नहीं होगी।

(4) नैसर्गिक विरासत.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में बहुमूल्य नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में विरासत संरक्षण योजना बनाई जाएगी।

(5) मानव निर्मित विरासत स्थल.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृतियों ऐतिहासिक, स्थापत्य संबन्धी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों व इर्द-गिर्द के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) ध्वनि प्रदूषण.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का अनुपालन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन तथा समय समय पर यथा संशोधित ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(7) वायु प्रदूषण. - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वायु प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण समय समय पर यथा संशोधित का अनुपालन वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियम तथा उनमें संशोधन के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(8) बहिस्त्राव का निस्सरण. - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्राव का निस्सरण समय समय पर यथा संशोधित, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(9) ठोस अपशिष्ट. - ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा: -

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 08 अप्रैल, 2016 के अधीन प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थान पर पर्यावरणीय स्वीकार्य रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए वर्तमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट के सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन (ईएसएम) की अनुमति दी जा सकती है।

(10) जैव चिकित्सा अपशिष्ट.- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन इस प्रकार किया जाएगा;

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर संशोधित अधिसूचना सं. सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016, के अधीन प्रकाशित जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में चिन्हित प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए वर्तमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट को सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन (ईएसएम) की अनुमति दी जाएगी।

(11) प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के अधीन प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के अधीन प्रकाशित निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई-अपशिष्ट** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित समय-समय पर यथा संशोधित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **सड़क-यातायात** - सड़क-यातायात को पर्यावास अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क-यातायात के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(15) **वाहन जनित प्रदूषण** - वाहन प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण लागू कानूनों के अनुसार किया जाएगा और स्वच्छ ईंधन जैसे संपीड़ित प्राकृतिक गैस, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस आदि के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां** - (क) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2025 में जारी सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण (समय-समय पर किए गए संशोधनों सहित) के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुमति दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण** - पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा :-

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं होगी;

(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं होगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.-

नागरहोल टाइगर रिज़र्व के पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में सभी क्रियाकलापों पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53), वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (16 का 1927), और अन्य लागू विधियों, जिनमें तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरज़ेड), 2011, पर्यावरण समाघात निर्धारण (ईआईए) अधिसूचना, 2006 और राज्य में प्रचलित अन्य अधिनियम और नियम सम्मिलित हैं, के उपबंधों द्वारा शासित होंगी। पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के अधीन आने वाले वन क्षेत्र पर मौजूदा वन विधियों और उनमें किए गए संशोधनों के अधीन ही शासन लागू रहेगा। इसमें कर्नाटक वन अधिनियम, 1963, कर्नाटक वन नियम, 1969 और उनमें किए गए संशोधन शामिल हैं। इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए, पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में होने वाली क्रियाकलापों को नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित किया जाएगा, अर्थात्:-

सारणी

क्रम सं. (1)	क्रियाकलाप (2)	टिप्पणियां (3)
क. प्रतिबंधित क्रियाकलाप		
1.	वाणिज्यिक खनन, रेत खनन और अपघर्षण इकाइयां।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर घरों के निर्माण या मरम्मत के लिए मिट्टी की खुदाई सहित वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के सिवाय सभी नए और विद्यमान (लघु और प्रमुख खनिज), रेत उत्खनन और उनके तोड़ने की इकाइयों को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है। (ख) खनन कार्य माननीय उच्चतम न्यायालय के तारीख 4 अगस्त, 2006 के आदेश (टी.एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ के मामले में, रिट याचिका संख्या 202/1995) और तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश (गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में, लोकहित याचिका संख्या 435/2012); और आईए संख्या 1000 वर्ष 2003 तारीख 03 जून, 2022। आईए संख्या 131377 वर्ष 2022, तारीख 26 अप्रैल, 2023 और 28 अप्रैल, 2023 के निर्णय और आईए संख्या 162023, 162034, 162154 और 162155 वर्ष 2025 में तारीख 23 जुलाई 2025 के बाद के निर्णय या खनन के संबंध में कोई और आदेश के अनुसार किए जाएंगे।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी 2025 में जारी और समय-समय पर संशोधित दिशानिर्देशों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में केवल प्रदूषण रहित उद्योगों को ही अनुमति दी जाएगी, जब तक कि इस अधिसूचना में अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो। इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों या कृषि-आधारित उद्योगों का संवर्धन किया जाएगा।
3.	प्रमुख जलविद्युत परियोजना की स्थापना।	प्रतिबंधित।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	प्रतिबंधित।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित अपशिष्टों का निर्वहन।	प्रतिबंधित।
6.	ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल और ठोस व जैव चिकित्सा अपशिष्ट के लिए सामूहिक भस्मीकरण सुविधा की स्थापना।	पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में ठोस कचरे के निपटान के लिए कोई नई जगह या कचरे के उपचार/प्रसंस्करण की सुविधा बनाने की अनुमति नहीं है। इसके अतिरिक्त, औद्योगिक प्रक्रियाओं और अस्पतालों इत्यादि से निकलने वाले किसी भी तरह के ठोस कचरे के उपचार के लिए सामूहिक या अलग-अलग भस्मीकरण (कचरा

		जलाने की मशीन) लगाने की अनुमति नहीं होगी।
7.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई या वर्तमान आरा मिलों की विस्तार की अनुमति नहीं होगी।
8.	ईंट भट्टों की स्थापना।	प्रतिबंधित ।
9.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	प्रतिबंधित ।
10.	काष्ठ आधारित नया उद्योग	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर काष्ठ आधारित किसी भी नए उद्योग की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।
11.	पर्यटन से जुड़ी गतिविधियां करना, जैसे कि किसी भी विमान या गर्म – हवा वाले गुब्बारे से राष्ट्रीय उद्यान के इलाके के ऊपर से उड़ान भरना।	लागू विधियों के अधीन प्रतिबंधित ।
ख. विनियमित क्रियाकलाप		
12.	वाणिज्यिक होटलों और रिसॉर्ट्स की स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों के लिए लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिसॉर्टों को स्थापना अनुमति नहीं दी जाएगी: परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या वर्तमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप होगा ।
13.	निर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के विस्तार तक, जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के नए वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी: परंतु, स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भवन उपविधियों के अनुसार पैराग्राफ 3 के उप-पैराग्राफ (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित स्थानीय लोगों को उनके उपयोग के लिए अपनी भूमि पर संनिर्माण करने की अनुमति दी जाएगी: i. पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी निवास हेतु पर्यावरण के अनुकूल कॉटेज, जैसे कि तंबू, लकड़ी के घर आदि। ii. मौजूदा सड़कों का चौड़ीकरण और सुदृढीकरण; iii. प्रदूषण न फैलाने वाले लघु उद्योग; iv. बुनियादी ढांचे और नागरिक सुविधाओं का निर्माण और

		नवीनीकरण; v. ग्राम शिल्पकारों सहित कुटीर उद्योग; गृहवास सहित पर्यावरण-अनुकूल पर्यटन का संवर्धन करने वाली सुविधा भंडार और स्थानीय सुविधाएं; और vi. इस अधिसूचना में सूचीबद्ध क्रियाकलापों का संवर्धन करना। परंतु, गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों यदि कोई हो, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे। (ग) एक किलो मीटर के परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
14.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2026 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी समय-समय पर यथा संशोधित उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की अपनी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग की अनुमति सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी जाएगी।
15.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं की जाएगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य के अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित की जाएगी।
16.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रहण।	अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी [वन अधिकारों की मान्यता] अधिनियम, 2006 के अनुसार विनियमित।
17.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा (भूमिगत केवल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा)।
18.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा।	लागू विधियों, नियमों और विनियमों तथा उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार शमन उपायों के साथ किया जाएगा।
19.	वर्तमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें मजबूत बनाना और नई सड़कें बनाना।	लागू विधियों, नियमों और विनियमों तथा उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार शमन उपायों के साथ किया जाएगा।
20.	फर्मों, कंपनियों, कॉरपोरेट्स द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन और कुक्कुट फार्मों इत्यादि की स्थापना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।

21.	पहाड़ी ढलानों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित।
22.	रात्रि में परिवहन यातायात का आवागमन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए विनियमित।
23.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुग्धशाला, पशुपालन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अनुसार विनियमित।
24.	प्राकृतिक जल निकायों या भू-क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिस्त्राव का निस्सारण।	उपचारित अपशिष्ट जल या बहिस्त्राव का जल निकायों में निस्सारण नहीं होने दिया जायेगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग के प्रयास किए जाएंगे, अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल या बहिस्त्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
25.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित।
26.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुला कुआँ, बोरवेल आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित।
27.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित।
28.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित।
29.	पारिस्थितिकी- पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित।
30.	पॉलिथीन बैग का उपयोग।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में पॉलिथीन बैग के इस्तेमाल की इजाजत है। हालाँकि, खास ज़रूरतों के आधार पर, इसे लागू विधियों के अधीन नियंत्रित किया जाएगा।
31.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग्स।	लागू विधियों के अधीन विनियमित।
ग. संवर्धित क्रियाकलाप		
32.	वर्षा जल संचय।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा।
33.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा।
34.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा।
35.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा।
36.	नवीकरणीय ऊर्जा तथा ईंधन का प्रयोग।	जैविक गैस, सौर प्रकाश इत्यादि को संवर्धन किया जाएगा।
37.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा।
38.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा।
39.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का प्रयोग।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा।

40.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा ।
41.	अवक्रमित भूमि/वनो/ पर्यावासों की बहाली ।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा ।
42.	पर्यावरण के प्रति जागरूकता।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा ।

5. नागरहोल टाइगर रिज़र्व पारिस्थितिकी संवेदी जोन की निगरानी समिति:-

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (3) के अधीन मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों के पालन की निगरानी और उसे सुनिश्चित करने के लिए एक समिति बनाती है, जिसे 'निगरानी समिति' कहा जाएगा। ऊपर उप-पैराग्राफ (1) में बताई गई निगरानी समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

क्र.सं.	निगरानी समिति के सदस्य	पद
1.	क्षेत्रीय आयुक्त, मैसूर	अध्यक्ष;
2.	कर्नाटक सरकार के पर्यावरण विभाग का प्रतिनिधि	सदस्य;
3.	शहरी विकास विभाग, कर्नाटक सरकार का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
4.	कर्नाटक राज्य वन विभाग द्वारा वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले किसी गैर-सरकारी संगठन के प्रतिनिधि को नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।	सदस्य;
5.	क्षेत्रीय अधिकारी, कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य;
6.	राज्य जैव-विविधता बोर्ड के सदस्य	सदस्य;
7.	कर्नाटक राज्य के किसी प्रतिष्ठित संस्थान या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी का एक विशेषज्ञ।	सदस्य;
8.	डिप्टी कमिश्नर, मैसूर ज़िला और कोडगु ज़िला	सदस्य;
9.	वन संरक्षक/उप वन संरक्षक या राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान/नागरहोल टाइगर रिज़र्व, हुंसूर के निदेशक के पद पर कार्यरत अधिकारी।	निगरानी समिति के सदस्य सचिव/संयोजक।

6.संदर्भ की शर्तें.- (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन (3) वर्ष का होगा या राज्य सरकार द्वारा नई समिति के पुनर्गठन तक का होगा और उसके बाद राज्य सरकार द्वारा निगरानी समिति का गठन किया जाएगा।

(3)उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1553 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित है और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैराग्राफ 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के निगरानी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या यथास्थिति, राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारी को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) पूर्ववर्ती पर्यावरण और वन मंत्रालय की तारीख 14 सितम्बर, 2006 की का.आ. 1533(अ), के माध्यम से प्राप्त सरकार की अधिसूचना के अधीन सम्मिलित नहीं किए गए और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाले कार्यकलापों की संवीक्षा निगरानी समिति द्वारा स्थल विशिष्ट परिस्थितियों के आधार पर की जाएगी। जिसमें पैरा 4 के अधीन सारणी में सम्मिलित और संबंधित विनियामक प्राधिकरण को सौंपे गए कार्यकलाप सम्मिलित नहीं है।

(5) निगरानी समिति के सदस्य-सचिव या संबंधित कलेक्टर या संबंधित उप वन संरक्षक पर्यावरण अधिनियम की धारा 19 के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत फाइल करने के लिए सक्षम होंगे।

(6) निगरानी समिति मामला-दर मामला के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए सम्बद्ध विभाग के प्रतिनिधि या विशेषज्ञ, औद्योगिक संगमों या पणधारियों के प्रतिनिधि को अपने विचार-विमर्श में सहायत के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) निगरानी समिति में विनिर्दिष्ट निदर्शन पत्र प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्यवाही रिपोर्ट उस वर्ष के 30 जून तक राज्य के मुख्य वन्यजीव संरक्षक को अनुलग्नक -VI में दिए गए प्रोफॉर्म के अनुसार प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कार्य-कलापों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे।

7. अतिरिक्त उपाय. - इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. उच्चतम न्यायालय आदि के आदेश- इस अधिसूचना के उपाबंध भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित या पारित किए जाने वाले आदेशों के अधीन होंगे।

अनुलग्नक-क

नागरहोल टाइगर रिज़र्व की सीमा का विवरण

दिशा	विवरण
उत्तर	गोनीकोप्पा-हुंसूर हाईवे से कचुवनहल्ली की पूर्वी सीमा तक, फिर कचुवनहल्ली एस.एफ. की पूर्वी सीमा के साथ दक्षिण-पूर्व दिशा में लक्ष्मणतीर्थ नदी तक, और उसके बाद वीरनाहोसहल्ली एस.एफ. की उत्तरी सीमा के साथ मुरकल-हुंसूर रोड तक।
पूर्व	ऊपर बताए गए बिंदु से यह रेखा वीरनाहोसहल्ली एस.एफ., मेटिकुप्पे एस.एफ. और ककनाकोटे एस.एफ. की पूर्वी सीमा के साथ आगे बढ़ती है और उधूर में कबिनी जलाशय को छूती है।
दक्षिण	उदबूर से यह लाइन काकनाकोटे एस.एफ. की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ बावली तक जाती है, जहाँ यह कर्नाटक और केरल राज्यों के बीच की अंतर-राज्यीय सीमा को छूती है।
पश्चिम	ऊपर बताए गए बिन्दु से यह लाइन कर्नाटक और केरल राज्यों के बीच अंतर-राज्यीय सीमा के साथ उत्तर दिशा में आगे बढ़ती है, कायमारा से गुज़रते हुए उस बिन्दु तक जाती है जहाँ नल्केरी आरएफ. की पश्चिमी सीमा उस अंतर-राज्यीय सीमा को छूती है। फिर यह लाइन नल्केरी आरएफ., हटघाट आरएफ. और अरेकेरे आरएफ. की पश्चिमी सीमा के साथ आगे बढ़ती है और गोनीकोप्पा-हुंसूर रोड पर शुरुआती बिन्दु से जुड़ जाती है।

अनुलग्नक-ख

नागरहोल टाइगर रिज़र्व के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

दिशा	विवरण
उत्तर	यह लाइन लिंगापुरा गाँव के उत्तर-पश्चिम कोने पर कावेरी नदी के दाहिने किनारे से शुरू होती है और लिंगापुरा गाँव व डोड्डाहारावे वन की उत्तरी सीमा के साथ-साथ डोड्डाहोसुर, डोड्डाहारावे वन और अरालिकुमारी गाँव के मिलन-बिंदु (ट्राई-जंक्शन) तक जाती है। इसके बाद यह लाइन जोडुकल्ली धारा के साथ-साथ कैलासपुरा, बसवना एनि और डोड्डाहारावे गांवों के मिलन-बिंदु (ट्राई-जंक्शन) तक जाती है। फिर यह बसवना एनि गांव की उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी सीमा के साथ-साथ डोड्डाहारावे, नवलुरु और बसवना एनि गांवों के मिलन-बिंदु तक जाती है। इसके बाद यह नवलुरु गांव की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ दक्षिण की ओर अयाराबीडू, लिंगापुरा और नवलुरु गांवों के मिलन-बिंदु तक जाती है; इसके बाद यह नवलुरु गाँव की दक्षिणी सीमा पर पूर्व की ओर बढ़ती है; फिर यह अयाराबीडू और लिंगपुरा गाँवों से होते हुए दक्षिण की ओर बढ़ती है और मुत्तुरु गाँव के पास अनेचोकुर राज्य वन की उत्तरी सीमा को छूती है। फिर यह मुत्तुरु, कालेतिम्मनहल्ली, सुलागोडु, कोगिलावाडी, लक्ष्मीपुरा और हवातुरु से होते हुए अनेचोकुर राज्य वन की उत्तरी और पूर्वी सीमा पर और अब्बालाती की दक्षिणी सीमा पर चलती है, जब तक कि यह अब्बालाती, मलंगी और अनेचोकुर राज्य वन के मिलन बिंदु (ट्राई-जंक्शन पॉइंट) तक नहीं पहुँच जाती। इसके बाद यह लाइन मलंगी की पश्चिमी और उत्तरी सीमा पर आगे बढ़ती है और मलंगी, चौकुर और मुम्मादिकवल गांवों के मिलन-बिंदु (ट्राई-जंक्शन) को छूती है; फिर यह लाइन मलंगी की पूर्वी सीमा पर दक्षिण-पूर्व दिशा में आगे बढ़ती है और मलंगी, चौकुर और वुत्तेनहल्ली के मिलन-बिंदु को छूती है। इसके बाद यह लाइन उट्टेनाहल्ली और पंचवल्ली की उत्तरी सीमा से होते हुए इटागाहल्ली, पंचवल्ली और सथेगाला कवल के मिलन बिंदु (ट्राई-जंक्शन) तक जाती है। फिर यह लाइन पंचवल्ली की पूर्वी सीमा पर तब तक चलती है जब तक कि यह बीराथम्मनहल्ली गाँव की उत्तरी सीमा को नहीं छू लेती; इसके बाद यह लाइन बीराथम्मनहल्ली की उत्तरी सीमा के साथ-साथ बीराथम्मनहल्ली, कार्लकुप्पे और हेम्मीगे के जंक्शन तक जाती है, जहाँ यह मुड्डानाहल्ली एसएफ से मिलती है; फिर यह मुड्डानाहल्ली ब्लॉक एसएफ की उत्तरी और पूर्वी सीमा पर तब तक चलती है जब तक कि यह हनागोडु गाँव की उत्तरी सीमा को नहीं छू लेती; फिर यह हनागोडु और हनागोडु नाला गाँव की उत्तरी सीमा के साथ-साथ तब तक चलती है जब तक कि यह हनागोडु नाला, हेगंदुरु और किरंगुरु गाँव के मिलन-बिंदु (ट्राई-जंक्शन) वाले बांध तक नहीं

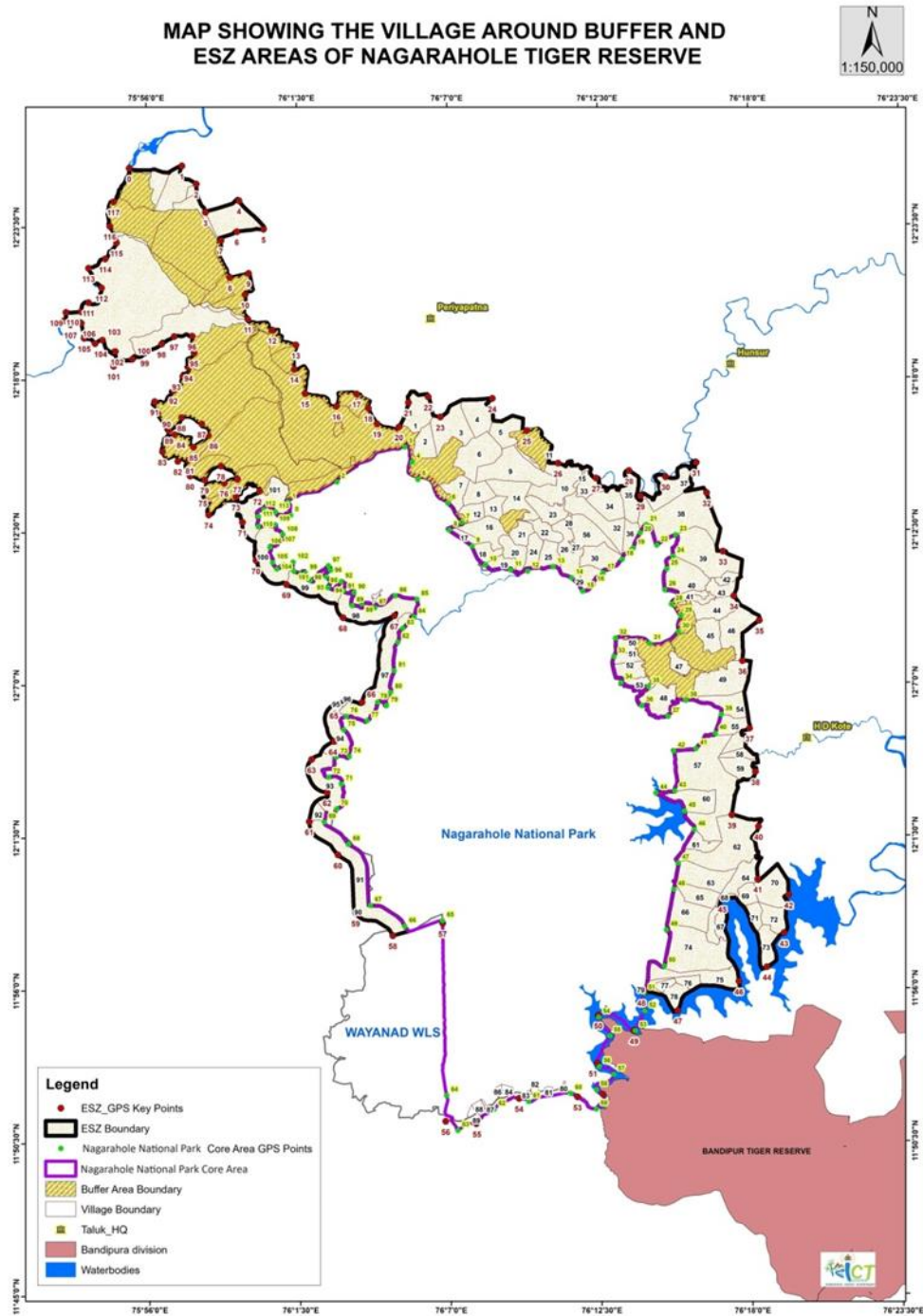
	पहुँच जाती; फिर यह रेखा दक्षिण-पूर्व दिशा में किरंगुरु गाँव की पूर्वी सीमा और मदाहल्ली, हरलाहल्ली और पेन्जाहल्ली कवल की उत्तरी सीमा पर चलती है और उम्माथुरु गाँव की पश्चिमी सीमा पर एक बिंदु को छूती है।
पूर्व	इसके बाद यह लाइन पेन्जाहल्ली कवल के पूर्वी हिस्से से गुज़रती है और सोलेपुरा एसएफ की पूर्वी सीमा से मिलती है। फिर यह सोलेपुरा एसएफ की पूर्वी सीमा के साथ-साथ चलती है और भीमानाहल्ली, येलेहुंडी कवल और मुसाकेरे की 'गाडी बंध' (सीमा रेखा) तक पहुँचती है; इसके बाद यह लाइन येलेहुंडी कवल की पूर्वी सीमा पर दक्षिण-पूर्व और दक्षिण-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ती है और येलेहुंडी, पडुवाकोटे कवल और एचडी के अन्नूर के ट्राई-जंक्शन बंध (तीन सीमाओं के मिलन बिंदु) तक पहुँचती है। कोटे तालुक; फिर यह लाइन अन्नूर और नंजनायकानाहल्ली की पूर्वी सीमा पर आगे बढ़ती है और येदेथोरे, पडुवाकोटे कवल और नंजनायकानाहल्ली के मिलन बिंदु (ट्राई-जंक्शन पॉइंट) को छूती है; फिर यह लाइन नंजनायकानाहल्ली की पूर्वी सीमा पर दक्षिण दिशा में आगे बढ़ती है और नंजनायकानाहल्ली, भूधानूर और येदेथोरे के मिलन बिंदु को छूती है; फिर यह लाइन भूधानूर गाँव की उत्तरी और पूर्वी सीमा के साथ-साथ आगे बढ़ती है और भूधानूर गाँव तथा चक्कोडानाहल्ली गाँव के मिलन बिंदु को छूती है; फिर यह लाइन चक्कोडानाहल्ली की पूर्वी सीमा के साथ-साथ चलती है और चक्कोडानाहल्ली गाँव और सोनाहल्ली गाँव की सीमा (गाडी भांड) तक पहुँचती है; फिर यह लाइन सोनाहल्ली की पूर्वी सीमा के साथ-साथ चलती है और सोनाहल्ली गाँव और दासानापुरा गाँव की सीमा (गाडी भांड) से मिलती है; फिर यह लाइन दासानापुरा की पूर्वी सीमा के साथ-साथ आगे बढ़ती है और दासानापुरा गाँव तथा एचडी. कोटे तालुक के अक्कादेवानाहल्ली गाँव की सीमा (गाडी भांड) से मिलती है; इसके बाद यह लाइन उसी दिशा में आगे बढ़ती है और अक्कादेवनहल्ली गाँव और नागनाहल्ली गाँव की सीमा (गाडी भांड) से मिलती है; फिर यह लाइन नागनाहल्ली गाँव की पूर्वी सीमा पर आगे बढ़ती है और नागनाहल्ली गाँव और हिरेहल्ली गाँव के जंक्शन पॉइंट (जंक्शन भंड) पर मिलती है; इसके बाद यह लाइन हिरीहल्ली गाँव की पूर्वी सीमा पर दक्षिण दिशा में आगे बढ़ती है और हिरेहल्ली गाँव और अंतरसंतहे गाँव के जंक्शन पॉइंट (जंक्शन भंड) से मिलती है; फिर यह लाइन अंतरसंतहे गाँव के उत्तरी और पूर्वी किनारों के साथ-साथ आगे बढ़ती है और अंतरसंतहे, नूरलाकुप्पे और अंतरसंतहे कवल की सीमा (गाडी भांड) को छूती है। इसके बाद यह लाइन अंथरासंथे कवल की उत्तरी और पूर्वी सीमा पर आगे बढ़ती है और अंथरासंथे कवल, मचयारी और नूरलाकुप्पे के मिलन बिंदु (ट्राई-जंक्शन पॉइंट) को छूती है। फिर यह लाइन मचयारी की उत्तरी और पूर्वी

	सीमा पर चलती है और काबिनी नदी की सीमा को छूती है। इसके बाद यह लाइन दक्षिण दिशा में काबिनी नदी के साथ-साथ आगे बढ़ती है और होसाहोलालु तथा सोगेहल्ली की पूर्वी सीमा से होकर गुज़रती है। इसके बाद यह लाइन सोगेहल्ली की दक्षिणी सीमा पर पश्चिम की ओर जाती है और फिर काबिनी नदी के साथ-साथ सोगेहल्ली की पश्चिमी सीमा पर उत्तर की ओर बढ़ती है। फिर यह लाइन काबिनी नदी के किनारे-किनारे बडानेकुप्पे और होन्नुरकुप्पे की उत्तर-पश्चिमी सीमा पर उत्तर की ओर जाती है। इसके बाद यह लाइन पश्चिम की ओर तब तक बढ़ती है जब तक कि यह रागालाकुप्पे की उत्तर-पूर्वी सीमा को नहीं छू लेती। इसके बाद यह लाइन काबिनी नदी के साथ-साथ दक्षिण दिशा में आगे बढ़ती है और रागालाकुप्पे, हालेमग्गे, एन. बेलाथुर और निसाना की पूर्वी सीमाओं से होकर गुज़रती है। फिर यह लाइन निसाना की दक्षिणी सीमा पर काबिनी नदी के साथ-साथ पश्चिम दिशा में तब तक आगे बढ़ती है, जब तक कि यह गुंडाथुर गाँव की उत्तर-पूर्वी सीमा से नहीं मिल जाती।
दक्षिण	यह बिन्दु गुंडाथुर गाँव की पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी सीमाओं के साथ-साथ तब तक चलती है जब तक कि यह उदाबुरु गाँव की दक्षिण-पूर्वी सीमा (भंड) से नहीं मिल जाती; फिर यह लाइन पश्चिमी दिशा में काबिनी नदी के साथ-साथ चलती है और उदाबूर गाँव की दक्षिणी सीमा, थेनेकल्लू गाँव की पूर्वी और दक्षिणी सीमा, माचुर गाँव, गोलुर गाँव, होसुर गाँव, नेटकलहुंडी, अनेमाला गाँव, चिक्काबायरानाकुप्पे गाँव, डोडुबायरानाकुप्पे गाँव, थिम्मानहोसाहल्ली गाँव, वडाकिनामाला और कडेगुडे गाँव की दक्षिणी सीमाओं से होकर गुज़रती है; आखिर में, यह कर्नाटक के काकनाकोटे स्टेट फ़ॉरेस्ट और केरल राज्य के मालाबार राज्य वन की अंतर-राज्यीय सीमा (गाडी भंड) पर जाकर मिलती है।
पश्चिम	ऊपर बताए गए बिंदु से यह लाइन कर्नाटक और केरल राज्यों के बीच अंतर-राज्यीय सीमा के साथ उत्तर दिशा में आगे बढ़ती है। यह कायमारा से होते हुए उस बिंदु तक जाती है जहाँ बाले मुरकल अंतर-राज्यीय सीमा पॉइंट पर नल्केरी रिज़र्व फ़ॉरेस्ट की दक्षिणी सीमा है; फिर यह लाइन नल्केरी रिज़र्व फ़ॉरेस्ट की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ चलती है और फिर कुट्टा गाँव की दक्षिणी सीमा के सहारे नागरहोल टाइगर रिज़र्व की पश्चिमी सीमा से 1 किमी की दूरी तक जाती है। इसके बाद यह बिंदु नागरहोल टाइगर रिज़र्व की पश्चिमी सीमा से 1 किमी की दूरी पर उत्तर-पश्चिम और उत्तर-पूर्व दिशा में तब तक आगे बढ़ती है, जब तक कि यह बडागा गाँव की दक्षिणी सीमा को नहीं छू लेती; फिर यह लाइन नागरहोल टाइगर रिज़र्व की पश्चिमी सीमा से 1 किमी की दूरी पर उत्तर-पूर्व और उत्तर-पश्चिम दिशा में तब तक आगे बढ़ती है, जब तक कि यह नल्केरी गाँव की दक्षिणी सीमा को नहीं छू लेती; इसके बाद यह बिंदु नागरहोल टाइगर रिज़र्व की पश्चिमी सीमा से 1 किमी की दूरी पर उत्तर-पूर्व दिशा में कोथुर गाँव की दक्षिणी सीमा तक जाती है; फिर

यह बिंदु नागरहोल टाइगर रिज़र्व की पश्चिमी सीमा से 1 किमी की दूरी पर उत्तर-पश्चिम और उत्तर-पूर्व दिशा में कानूर गाँव की दक्षिणी सीमा तक जाती है; इसके बाद यह बिंदु नागरहोल टाइगर रिज़र्व की पश्चिमी सीमा से 1 किमी की दूरी पर उत्तर-पश्चिम दिशा में नितूर गाँव की दक्षिण-पश्चिमी सीमा तक जाती है; इसके बाद यह बिंदु नागरहोल टाइगर रिज़र्व की पश्चिमी सीमा से 1 किमी की दूरी पर उत्तर-पूर्व दिशा में चलती है और देवानूर गाँव की पूर्वी सीमा को छूती है; फिर यह बिंदु नागरहोल टाइगर रिज़र्व की पश्चिमी सीमा से 1 किमी की दूरी पर उत्तर-पश्चिम दिशा में चलती है और बालेले गाँव की पूर्वी सीमा को छूती है; इसके बाद यह बिंदु नागरहोल टाइगर रिज़र्व की पश्चिमी सीमा से 1 किमी की दूरी पर उत्तर-पश्चिम दिशा में चलती है और सिद्धापुरा गाँव की दक्षिणी सीमा को छूती है; इसके बाद यह बिंदु नागरहोल टाइगर रिज़र्व की पश्चिमी सीमा से 1 किमी की दूरी पर उत्तर-पश्चिम दिशा में चलती है और नोक्या गाँव की दक्षिण-पूर्वी सीमा को छूती है; फिर यह बिंदु नागरहोल टाइगर रिज़र्व की पश्चिमी सीमा से 1 किमी की दूरी पर मौकल रिज़र्व फ़ॉरेस्ट की दक्षिणी सीमा तक जाती है; इसके बाद यह बिंदु मौकल रिज़र्व फ़ॉरेस्ट की दक्षिणी और पश्चिमी सीमाओं के साथ-साथ चलती है और देवमाची रिज़र्व फ़ॉरेस्ट की पश्चिमी सीमाओं से गुज़रती है, फिर यह दुबारे रिज़र्व की दक्षिणी और पश्चिमी सीमाओं से गुज़रती है और अंत में कावेरी नदी के साथ-साथ चलते हुए शुरुआती बिंदु पर मिल जाती है।

अनुलग्नक-II

नागरहोल टाइगर रिज़र्व और उसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



अनुलग्नक-IIIक

नागरहोल टाइगर रिज़र्व की सीमा के प्रमुख भू-निर्देशांकों की सूची

मानचित्र आईडी	अक्षांश (उ)	देशांतर (पू)
0	12.21850	76.02064
1	12.22644	76.01897
2	12.23831	76.04900
3	12.25922	76.09019
4	12.25008	76.09478
5	12.23967	76.09819
6	12.22544	76.11633
7	12.21378	76.12489
8	12.20925	76.11728
9	12.19958	76.13108
10	12.18828	76.13908
11	12.18514	76.15450
12	12.18442	76.16486
13	12.18700	76.18047
14	12.18022	76.19167
15	12.17211	76.19836
16	12.17606	76.20458
17	12.18328	76.21078
18	12.19122	76.22233
19	12.19794	76.22914
20	12.20717	76.23339
21	12.21200	76.23700
22	12.19967	76.24350
23	12.20589	76.25503
24	12.19311	76.25328
25	12.18553	76.24958
26	12.17300	76.24825
27	12.16794	76.25583
28	12.16419	76.25228
29	12.15706	76.25792
30	12.14775	76.25631
31	12.14078	76.23886
32	12.14392	76.21803
33	12.13292	76.21711
34	12.11731	76.22133
35	12.11492	76.23806
36	12.10350	76.23394
37	12.09686	76.24992
38	12.10647	76.26075
39	12.09800	76.28222
40	12.08658	76.27864
41	12.07747	76.26683

42	12.07606	76.25319
43	12.05217	76.25386
44	12.05100	76.24228
45	12.04006	76.25964
46	12.02886	76.26556
47	12.00886	76.25553
48	11.99297	76.25297
49	11.96881	76.24836
50	11.94711	76.24697
51	11.93072	76.23444
52	11.92003	76.23492
53	11.90842	76.22914
54	11.91647	76.20692
55	11.90539	76.21344
56	11.88686	76.20717
57	11.88214	76.21583
58	11.87300	76.20525
59	11.86139	76.20511
60	11.87083	76.18964
61	11.86600	76.16408
62	11.86156	76.14314
63	11.84892	76.12097
64	11.86986	76.11425
65	11.97472	76.11214
66	11.97153	76.08914
67	11.98414	76.06825
68	12.02083	76.05514
69	12.03417	76.04044
70	12.04208	76.04792
71	12.05703	76.05094
72	12.06119	76.04331
73	12.07322	76.04789
74	12.07353	76.05575
75	12.08964	76.05242
76	12.09761	76.05414
77	12.09492	76.06669
78	12.10608	76.07322
79	12.10403	76.07850
80	12.11197	76.08119
81	12.12500	76.08328
82	12.14208	76.08558
83	12.15036	76.08861
84	12.15717	76.09561
85	12.16772	76.09736
86	12.16989	76.08414
87	12.16278	76.07164

88	12.16511	76.06367
89	12.16414	76.05794
90	12.17192	76.05903
91	12.17300	76.05253
92	12.17856	76.05114
93	12.17497	76.04328
94	12.17875	76.04500
95	12.18144	76.04208
96	12.18531	76.04472
97	12.18811	76.04347
98	12.17939	76.03236
99	12.18378	76.02964
100	12.18319	76.02650
101	12.18481	76.02247
102	12.19036	76.02206
103	12.18878	76.01625
104	12.18625	76.01214
105	12.19014	76.00950
106	12.19936	76.00794
107	12.20278	76.01428
108	12.20722	76.01564
109	12.21286	76.01094
110	12.21164	76.00086
111	12.21783	76.00100
112	12.22186	76.00425
113	12.22050	76.01133

अनुलग्नक -IIIख

नागरहोल टाइगर रिज़र्व के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रमुख भू-निर्देशांक की सूची

मानचित्र आईडी	अक्षांश (उ)	देशांतर (पू)
0	12.42706	75.92297
1	12.42842	75.95508
2	12.41747	75.96381
3	12.40044	75.96936
4	12.40739	75.98981
5	12.39025	76.00472
6	12.38883	75.98847
7	12.38358	75.97867
8	12.36136	75.98417
9	12.36378	75.99547
10	12.35097	75.99331
11	12.33625	75.99489
12	12.32967	76.00981

13	12.32069	76.02414
14	12.30614	76.02314
15	12.29150	76.02961
16	12.28386	76.04875
17	12.29119	76.06114
18	12.28258	76.06822
19	12.27322	76.07356
20	12.27128	76.08683
21	12.28592	76.09258
22	12.28928	76.10461
23	12.27714	76.11203
24	12.28819	76.14378
25	12.27414	76.16597
26	12.24919	76.18358
27	12.24011	76.20669
28	12.24453	76.22683
29	12.22922	76.23378
30	12.24078	76.24906
31	12.24922	76.26778
32	12.23106	76.27408
33	12.20958	76.29914
34	12.19253	76.31047
35	12.16883	76.29072
36	12.15428	76.30631
37	12.08961	76.29944
38	12.06350	76.30300
39	12.03764	76.28847
40	12.03064	76.30464
41	11.99903	76.30414
42	11.98958	76.32286
43	11.96672	76.31986
44	11.94639	76.30939
45	11.98719	76.28250
46	11.93778	76.29236
47	11.92033	76.25511
48	11.93131	76.23508
49	11.90847	76.22828
50	11.91772	76.20656
51	11.88900	76.20597
52	11.87019	76.20936
53	11.86881	76.19383
54	11.86800	76.15828
55	11.85294	76.13225
56	11.85433	76.11361

57	11.97322	76.11214
58	11.96597	76.08186
59	11.97964	76.05925
60	12.01447	76.04864
61	12.03458	76.03128
62	12.05211	76.04217
63	12.07189	76.03281
64	12.08267	76.04658
65	12.10442	76.04653
66	12.10606	76.06358
67	12.15792	76.08356
68	12.15689	76.05222
69	12.17686	76.01792
70	12.19144	75.99939
71	12.21433	75.99117
72	12.23303	76.00181
73	12.22961	75.98739
74	12.21889	75.97064
75	12.23222	75.96725
76	12.23794	75.98022
77	12.24025	75.98822
78	12.24814	75.97822
79	12.23983	75.96831
80	12.24222	75.95947
81	12.25175	75.95844
82	12.25106	75.95200
83	12.25692	75.94267
84	12.26711	75.95003
85	12.25953	75.96158
86	12.26661	75.97064
87	12.27347	75.96664
88	12.27731	75.95436
89	12.26972	75.94669
90	12.27983	75.93972
91	12.28694	75.93794
92	12.29364	75.94942
93	12.30206	75.95519
94	12.30717	75.95872
95	12.31606	75.96214
96	12.32617	75.96094
97	12.32594	75.94997
98	12.32153	75.94239
99	12.31633	75.93214
100	12.31256	75.92444

101	12.30839	75.91303
102	12.31714	75.91408
103	12.32400	75.90633
104	12.32197	75.90172
105	12.32514	75.89508
106	12.33428	75.89344
107	12.33333	75.88683
108	12.33544	75.88228
109	12.34069	75.88403
110	12.34114	75.89325
111	12.34656	75.89789
112	12.35528	75.90589
113	12.36714	75.89800
114	12.37278	75.90817
115	12.38236	75.91500
116	12.39233	75.91100
117	12.40697	75.91325

अनुलग्नक-IV

नागरहोल टाइगर रिज़र्व के पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाले गांवों की सूची

क. मैसूर ज़िला

i. पेरिया पटना तालुक

मानचित्र आईडी	गाँव	क्षेत्रफल हेक्ट. में	अक्षांश (उ)	देशांतर (पू)	टिप्पणी
1	हवतुरु	48.302	12.26867	76.04978	पूरा गाँव
2	मलंगी	385.705	12.27969	76.09806	पूरा गाँव
3	अलालुरु	258.250	12.26031	76.10228	पूरा गाँव
4	वुत्थेनहल्ली	240.166	12.26975	76.11717	पूरा गाँव
5	पंचवल्ली	347.025	12.27742	76.13228	पूरा गाँव
12	कचवनहल्ली जंगल	95.976	12.20406	76.12700	पूरा गाँव
योगफल		1375.424			

ii. हुनसूर तालुक

मानचित्र आईडी	गाँव	क्षेत्रफल हेक्ट. में	अक्षांश (उ)	देशांतर (पू)	टिप्पणी
6	बीराथम्मनहल्ली	180.754	12.26819	76.15289	पूरा गाँव
7	कडेमनुगनहल्ली	374.739	12.25386	76.13419	पूरा गाँव

8	उदावेपुरा	167.494	12.23297	76.11978	पूरा गाँव
9	कल्लाबुचनहल्ली	138.670	12.23119	76.13467	पूरा गाँव
10	नेरालाकुप्पे	121.759	12.21933	76.13078	पूरा गाँव
11	कचुविनहल्ली	127.402	12.22250	76.14500	पूरा गाँव
13	के.जी. हब्बानाकुप्पे	370.889	12.20864	76.13961	पूरा गाँव
14	गौडीकेरे	1.561	12.25647	76.17236	पूरा गाँव
15	हनुगोडु	566.374	12.23819	76.18800	पूरा गाँव
16	हनागोडु नाला	44.905	12.24511	76.15692	पूरा गाँव
17	शेट्टीहल्ली	45.784	12.22725	76.15667	पूरा गाँव
18	बिलेनाहोसाहल्ली	179.301	12.19578	76.13958	पूरा गाँव
19	कोनानाहोसाहल्ली	139.711	12.18892	76.14931	पूरा गाँव
20	कोलाविगे	246.883	12.19586	76.15650	पूरा गाँव
21	नेगथुरु	174.511	12.20800	76.16019	पूरा गाँव
22	शिदेनहल्ली	193.950	12.20833	76.17581	पूरा गाँव
23	अब्बुरु	282.869	12.21933	76.17658	पूरा गाँव
24	मुधगनुरु	206.914	12.19611	76.16833	पूरा गाँव
25	चिक्काहेज्जुरु	219.788	12.19356	76.17819	पूरा गाँव
26	डोड्डा हेज्जुरु	422.299	12.19550	76.18967	पूरा गाँव
27	डोड्डा हेज्जुरुकेरे कवल	24.889	12.19892	76.19308	पूरा गाँव
28	डोड्डा हेज्जुरु कवल	33.634	12.21383	76.19014	पूरा गाँव
29	वीरानाहोसाहल्ली	172.574	12.18086	76.20206	पूरा गाँव
30	भरतवाडी	347.693	12.19256	76.20903	पूरा गाँव
31	दासनपुरा	402.287	12.20692	76.20211	पूरा गाँव
32	हिंदगोडलू	512.712	12.21533	76.20731	पूरा गाँव
33	किरनगुरु	194.008	12.23514	76.20244	पूरा गाँव
34	माधहल्ली	374.270	12.22453	76.21411	पूरा गाँव
35	हरलाहल्ली	324.423	12.22811	76.22797	पूरा गाँव
36	थुप्पाधकोला	177.519	12.20517	76.22736	पूरा गाँव
37	पेनजहल्ली कवल	467.008	12.23436	76.25247	पूरा गाँव
38	वाराणसी	945.135	12.20789	76.29253	पूरा गाँव
	योगफल	7282.71			

iii. हेगादादेवनकोटे तालुक

मानचित्र आईडी	गाँव	क्षेत्रफल हेक्ट. में	अक्षांश (उ)	देशांतर (पू)	टिप्पणी
39	भीमनहल्ली	240.814	12.19439	76.27283	पूरा गाँव
40	राजेगौडानाहुंडी	209.643	12.18064	76.26003	पूरा गाँव
41	सोमगौडानहुंडी	72.137	12.16786	76.25797	पूरा गाँव
42	येलेहुंडी कवल	162.739	12.16747	76.26831	पूरा गाँव
43	येलहुंडी	175.680	12.17172	76.28292	पूरा गाँव
44	अन्नूरु	352.003	12.16000	76.27386	पूरा गाँव
45	होसहल्ली	261.643	12.14358	76.27108	पूरा गाँव
46	नंजनायकनहल्ली	378.499	12.14708	76.29131	पूरा गाँव
47	बोम्मलापुरा	101.982	12.13192	76.25808	पूरा गाँव
48	मेटिकुप्पे	351.517	12.11069	76.24961	पूरा गाँव
49	बूदानुरु	385.332	12.12000	76.28114	पूरा गाँव
50	गौडमाचनहल्ली	103.907	12.14019	76.22572	पूरा गाँव
51	सोलेपुरा	121.993	12.13511	76.23597	पूरा गाँव
52	शिदपुरा	207.068	12.12547	76.23158	पूरा गाँव
53	अगासनहुंडी	134.728	12.11778	76.23533	पूरा गाँव
54	चक्कोनहल्ली	227.386	12.10397	76.28678	पूरा गाँव
55	सोनाहल्ली	199.133	12.09114	76.28847	पूरा गाँव
56	दासनपुरा	132.145	12.08067	76.29089	पूरा गाँव
57	हिरहल्ली	1614.358	12.05697	76.27353	पूरा गाँव
58	अक्कादेवनहल्ली	114.858	12.07442	76.29222	पूरा गाँव
59	नागनहल्ली	274.234	12.06608	76.29328	पूरा गाँव
60	पेनजहल्ली	408.829	12.04644	76.26536	पूरा गाँव
61	हुनासेकुप्पे	184.469	12.02053	76.26936	पूरा गाँव
62	अंतरसंथे	1076.125	12.02261	76.29342	पूरा गाँव
63	मंचागौडानहल्ली	499.959	12.00050	76.27092	पूरा गाँव
64	अंतरसंथे कवल	438.747	12.00050	76.29500	पूरा गाँव
65	रागलाकुप्पे	288.777	11.98939	76.26806	पूरा गाँव
66	हलेमागे	482.157	11.97883	76.26164	पूरा गाँव
67	सोंडीपुरा	129.741	11.97125	76.28178	पूरा गाँव
68	अंतरसंथे वृक्षारोपण	46.132	11.98878	76.28486	पूरा गाँव
69	होन्नूरु कुप्पे	161.117	11.98964	76.29775	पूरा गाँव
70	मचयारी	451.430	11.99314	76.31339	पूरा गाँव

71	बदनकुप्पे	145.640	11.97717	76.30225	पूरा गाँव
72	होसा होलालु	263.809	11.97539	76.31411	पूरा गाँव
73	सोगाहल्ली	280.783	11.95883	76.30953	पूरा गाँव
74	बेलाथुर	1051.539	11.95581	76.26567	पूरा गाँव
75	निशाना	503.396	11.93953	76.27883	पूरा गाँव
76	करापुरा	149.914	11.93742	76.26136	पूरा गाँव
77	हुरलीपुरा	70.850	11.93578	76.24722	पूरा गाँव
78	गुंडातूर	187.091	11.92936	76.25364	पूरा गाँव
79	उदाबुरु	42.198	11.93283	76.23986	पूरा गाँव
80	मच्छुरु	13.831	11.87389	76.18553	पूरा गाँव
81	गूलुरु	26.068	11.87236	76.17644	पूरा गाँव
82	होसुरु	27.685	11.87278	76.16800	पूरा गाँव
83	नेट्टाकल्लहुंडी	9.239	11.87092	76.16442	पूरा गाँव
84	अनेमाला	47.186	11.87231	76.15164	पूरा गाँव
85	चिक्का बायराना कुप्पे	24.050	11.87308	76.14650	पूरा गाँव
86	डोड्डा बायराना कुप्पे	35.485	11.86878	76.14803	पूरा गाँव
87	थिम्मनाहोसाहल्ली	25.470	11.86200	76.13892	पूरा गाँव
88	वडकनमाला	63.847	11.86200	76.13436	पूरा गाँव
89	कडेगुडु	110.418	11.85664	76.13097	पूरा गाँव
	योगफल	13069.2			

ख. कोडागु जिला

i. पोन्नमपेट तालुक

मानचित्र आईडी	गाँव	क्षेत्रफल हेक्ट. में	अक्षांश (उ)	देशांतर (पू)	टिप्पणी
90	कुट्टा	19.19	11.97936	76.05997	नागरहोल टाइगर रिज़र्व की सीमा से 1 किलोमीटर की दूरी तक।
91	बड़गा	1014.82	11.99950	76.06067	
92	नलकेरी	101.25	12.03864	76.03847	
93	कोत्तुरु	574.07	12.06444	76.03539	
94	कनुरु	370.78	12.08681	76.04775	
95	बेक्के सोडलूर	49.07	12.10256	76.04322	

96	कोटागेरी	15.27	12.10664	76.04903
97	नितूर	880.56	12.10103	76.06108
98	देवानुरु	703.38	12.15906	76.06114
99	बालाले	487.54	12.17561	76.03608
100	सिद्धापुरा	520.36	12.19653	76.00356
101	नोक्या	697.61	12.22994	76.01275
	योगफल	5433.90		

अनुलग्नक-V

नागरहोल टाइगर रिज़र्व के पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सम्मिलित आस-पास के संरक्षित वन क्षेत्रों की सूची

क्र. स.	जिला	वन का नाम	प्रशासनिक नियंत्रण	क्षेत्रफल (वर्ग किमी में)	जीओ. संख्या और तारीख
अधिसूचित बफ़र ज़ोन का हिस्सा					
1.	मैसूर	दोधार्वे स्टेट फ़ॉरेस्ट	राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान (नागराहोल टाइगर रिजर्व)	47.40	390-एफटी. -145-95. तारीख 22-12-1900
2.	मैसूर	अनेचौकुर और मावाकल स्टेट फ़ॉरेस्ट		36.76	1173- एफटी. -145-95. तारीख 04-08-1900
3.	मैसूर	मुद्दनहल्ली ब्लॉक स्टेट फ़ॉरेस्ट		31.28	ए.एफ.-191.92- एफटी. 204-48-2 तारीख 11-07-1949
4.	मैसूर	सोल्लेपुरा स्टेट फ़ॉरेस्ट		65.41	ए.एफ.-2661. एफटी.192.41-5. तारीख 12-11-1942
6.	कोडागु	मावुकल रिज़र्व		33.52	55 तारीख 03-11-1891
7.	कोडागु	देवम्माची रिज़र्व		38.00	55 तारीख 03-11-1891
योगफल				252.37	

सटा हुआ आरक्षित वन क्षेत्र					
क्र. स.	जिला	वन का नाम	प्रशासनिक नियंत्रण	क्षेत्रफल (वर्ग किमी में)	जी ओ . संख्या और तारीख
1.	कोडागु	दुबारी रिजर्व	कोडागु मडिकेरी वन प्रभाग	45.98	55 तारीख 03-11-1891
2.	मैसूर	कावेरी ब्लॉक	राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान (नागराहोल टाइगर रिजर्व)	4.01	556. एफटी.-411-26-3 तारीख 07-04-1927
योगफल				49.99	
कुल योगफल				302.36	

अनुलग्नक -VI

कार्रवाई की गई रिपोर्ट का रूपविधान- नागरहोल टाइगर रिजर्व पारिस्थितिकी संवेदी जोन की निगरानी समिति :-

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त: (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में संलग्न करें)।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार (परिस्थिति संवेदी जोन-वार) । ब्यौरें उपाबंध के रूप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सार। (ब्यौरें एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें)।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सार। (ब्यौरें एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

[फा. सं .25/39/2016-ईएसजेड-आरई]

वेद प्रकाश मिश्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd September, 2026

S.O. 4862(E).— The following draft notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and subsection (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in

DRAFT NOTIFICATION

WHEREAS, the Nagarahole Tiger Reserve encompassing an area of 843.96 sq. km. is situated in Mysore district (Hunsur, Periyapatna and Heggadadevankote taluks) and Kodagu district (Ponnampete and Virajpet taluks) in the State of Karnataka. It lies between latitudes 11°50'N and 12°25'N and longitudes 75°54'E and 76°18'E. The area was first constituted as Nagarahole Wildlife Sanctuary in the year 1955, covering an area of 285 sq. km. Subsequently, additional areas were included and final notification for an area of 643.39 sq. km. was issued in the year 1983 notifying the same as the Nagarahole National Park. In the year 2002, the National Park area was notified as an extension of the Bandipur Tiger Reserve landscape.

AND WHEREAS, the Nagarahole Tiger Reserve was also notified as Core/Critical Tiger Habitat (CTH) on 20th December, 2007. Further, an area of 562.41 sq. km. was notified as Buffer Zone of the Nagarahole Tiger Reserve on 14th August, 2012;

AND WHEREAS, the Nagarahole Tiger Reserve forms part of the Nilgiri Biosphere Reserve (~5500 sq. km.) and also forms an integral part of the Mysore Elephant Reserve. It supports very high density of Asian Elephants with significantly higher number of adult tuskers signifying its ecological importance;

AND WHEREAS, the Nagarahole Tiger Reserve is contiguous with Bandipur Tiger Reserve and Wayanad Wildlife Sanctuary in the State of Kerala making it one of the largest wildlife habitat landscapes in the country. The Tiger Reserve is also linked to Bramhagiri Wildlife Sanctuary through reserve forests in Kerala. This entire landscape is also home to a healthy viable population of wild Tigers;

AND WHEREAS, the Nagarahole Tiger Reserve also serves as a catchment of important perennial streams and tributaries of the Kaveri, Lakshmanathirtha and Kabini Rivers. The region is home to Jenu Kuruba, Betta Kuruba and Yerava forest dwelling Scheduled Tribes;

AND WHEREAS, the region has very high floral and faunal diversity. The major forests of Nagarahole National Park and Tiger Reserve can broadly be classified into Southern Tropical Semi-evergreen forests, occurring in patches along the western boundary with Kerala, Southern Tropical Moist deciduous forests, which are found in the reserve forests of Hatghat, Nalkeri, Arikeri and south-western parts of Kakankote and western part of Metikuppe, and Southern Tropical Dry deciduous forests, which are confined to the reserve forests of Metikuppe, Veeranahosahalli, Kachuvanahalli, and parts of Kakanakote;

AND WHEREAS, the vegetation of the region comprises of species of *Shorea talura*, *Santalum album*, *Terminalia chebula*, *Anogeissus latifolia*, *Azadirachta indica*, *Chloroxylon swietenia*, *Acacia leucophloea*, *Acacia catechu*, *Stereospermum chelonoides*, *Zizyphus* spp., *Diospyros melnoxylon*, *Diospyros montana*, etc. *Lantana* bushes cover large areas as under growth, including *Phoenix acaulis* at some places. *Cassia tora*, *Cassia auriculata*, *Desmodium* etc., also form the undergrowth. *Acacia intsia* is the common climber. Bamboos are generally absent. Sandal occurs profusely in this type of forests;

AND WHEREAS, the diverse fauna of Nagarahole Tiger Reserve is due to its ecological variations from dry deciduous forests in the eastern regions of the National Park to tropical moist deciduous forests in the western parts of the National Park. The unique grassy swamps locally called 'Hadlus' provide forage for herbivores through the dry periods of summer. The elevation of the Tiger Reserve varies from 700 m to 960 m. The region has a tropical climate with rainfall ranging from 1000 mm. to 1500 mm.

AND WHEREAS, it is one of the high density tiger landscapes recognized by the Global Tiger Initiative for conservation of Tiger. It is also one of the richest wildlife areas noted for the intact assemblage of seven large ungulate species such as Chital, Sambar, Chowsingha, Gaur, Muntjac, Wild Pig and Elephant;

AND WHEREAS, other commonly encountered mammals include Tiger, Leopard, Jungle cat, Leopard cat, Fishing cat, Rusty spotted cat, Small Indian civet, Common palm civet, Common mongoose, Striped necked mongoose, Brown mongoose, Ruddy mongoose, Jackal Dhole or Indian wild dog, Sloth bear, Common otter, Flying fox, Indian giant squirrel, Common giant flying squirrel, Three Stripped palm squirrel, Indian porcupine, Indian hare, Elephant, Gaur, Four horned antelope, Sambar, Chital, Barking deer, Mouse deer, Wild boar, Indian pangolin, etc. also inhabit the Tiger Reserve.

AND WHEREAS, 330 species of avifauna are recorded in the Tiger Reserve such as Malabar Pied Hornbill, Malabar Trogon, Green Imperial Pigeon, Peafowl, Crested Serpent Eagle, Osprey, Grey Jungle Fowl, Woolly Necked Stork, King Vulture, etc. along with critically endangered Long-billed and White- Rumped Vultures;

AND WHEREAS, the important butterfly species include the Tree Nymph, Blue Tiger, Common Tiger, Plain Tiger, Common Indian Crow, Common Four-ring, Common Evening-Brown, Tawny Rajah, Gray Count, Baronet, Colour Sergeant, Common Sergeant, Common Sailer, Great Egg fly, Danaid Egg fly, Grey Pansy, Chocolate Pansy, Yellow Pansy, Blue Pansy, Lemon Pansy, Peacock Pansy, Small Leopard, Angled Caster, Pale Grass Blue, Gram Blue, Common Bird-wing, Crimson Rose, Common Rose, Common Mime, Blue Mormon, Red Helen, Common Mormon, Lime Butterfly, Malabar-banded Swallow-tail, Spectacle Sword-tail, Tailed Jay, Common Jezbel, Indian Cabbage White, Great Orange Tip, Common Emigrant, Common Grass Yellow, etc.;

AND WHEREAS, the important reptile species include Marsh Crocodile, Indian Pond Terrapin, Monitor lizard, Chameleon, Spectacled Cobra, Russell's Viper, Common Krait, Indian Rock Python and a host of other snakes, lizards and turtles species.

AND WHEREAS, as per the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) some of the species, which fall under category of Critically Endangered, Endangered, Vulnerable, Near Threatened are found in Nagarahoole Tiger Reserve includes Mammals such as, Tiger (*Panthera tigris*), Common leopard (*Panthera pardus*), Rusty spotted cat (*Prionailurus rubiginosus*), Sloth Bear (*Melursus ursinus*), Asian Elephant (*Elephas maximus*), Gaur (*Bos gaurus*), Sambar (*Cervus unicorn*), Indian Pangolin (*Manis crassicaudata*), Leopard Cat (*Felis bengalensis*), Spotted Deer (*Axis axis*), Jungle Cat (*Felis chaus*), Common Mongoose (*Herpestes edwardsi*), Stripe necked Mongoose (*Herpes tsvitticollis*), Jackal (*Canis aureus*), Wild Dog (*Cuon alpinus*), Indian Porcupine (*Hystrix indica*), Barking Deer (*Muntiacus muntjak*), Mouse Deer (*Tragulus meminna*), Wild Pig (*Sus scrofa*), Pangolin (*Manis crassicaudata*), Flying Fox (*Pteropus molarus*), Small Indian Civet (*Viverricula indica*) etc.; Birds such as Grey fronted Green Pigeon (*Tretonpom padora*), Spotted dove (*Streptopelia chinensis*), Black winged Stilt (*Himantopus himantopus*), Red wattled Lapwing (*Vanellus malabaricus*), Little ringed Plover (*Charadrius dubius*), Green shank (*Tringao chropus*), Wood Sandpiper (*Tringa glareola*), Pintail Snipe (*Gallina gostenura*), Woodcock (*Scolopax rusticola*), Indian Lorikeet (*Loriculus vernalis*), Blue winged Parakeet (*Psittacula columoides*), Koel (*Eudynamis scolopacea*), Crow pheasant (*Centropus sinensis*) etc.; Reptiles such as Crocodile (*Crocodylus palustris*), Spectacled cobra (*Naja naja*), Rock Python (*Python molarus*), Russels Viper (*Viper arussllii*), etc.; Floral species such as Gulganji (*Abrus precatorious*), Banni (*Acacia ferruginea*), Seege (*Acacia concinna*), Bilvapatre (*Aegle marmelos*), Bage (*Albizia lebbeck*), Chigare (*Albizia amara*), Seethaphala (*Annona squamosa*), Kadu-nimbe (*Aristolocia indica*), Shathavari (*Asparagus recemosus*), Jagalaganti (*Diosporus Montana*), Bela (*Limonia apidissima*), Navilaadi (*Witex altissima*), Tapasi (*Olinia intrifolia*), Edathala (*Vachelli anilotica*) etc.

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, surrounding the boundaries of Nagarahole Tiger Reserve which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (Act 29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying of 0 (zero) to 7.5 km around the boundary of Nagarahole Tiger Reserve in the State of Karnataka as Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and Boundaries of the Eco-Sensitive Zone of Nagarahole Tiger Reserve-

- (1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of 0 (zero) to 7.5 km around the boundary of Nagarahole Tiger Reserve and the area of the Eco-sensitive zone is 573.959 sq. km. The extent of Eco-sensitive Zone at various directions is given below:-

Direction	From the Boundary of the Protected Area (in km)
North	1 - 6.9
North- East	5.20
East	7.4
South-East	0
South	0
South-West	0
West	1
North-West	24.08

Justification for 0 (zero) ESZ: ESZ is kept as 0 km (zero) towards south-east, south and south-west directions due to interstate boundary with Kerala.

- The Eco-sensitive Zone covers 101 villages (entire/partial) with a geographical area of 271.61 sq. km.
 - The notified Reserve Forest Areas under the Nagarahole Tiger Reserve Eco-Sensitive Zone has a geographical area of 302.36 sq. km.
 - The distance from the adjoining Reserve Forest Areas situated at the northern directions is 23.6 km from the boundary of the Nagarahole Tiger Reserve.
- (2) The boundary description of Nagarahole Tiger Reserve and its Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure – IA and Annexure – IB.**
 - (3) The map of Nagarahole Tiger Reserve and its Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure - II.**
 - (4) List of prominent geo-coordinates of the boundary of Nagarahole Tiger Reserve and Eco-Sensitive Zone is appended as **Annexure-III A & Annexure-III B.**
 - (5) The list of villages falling in the proposed Eco-sensitive zone is appended as **Annexure-IV.**
 - (6) The list of the adjoining Reserve Forest Areas included in the Eco-sensitive Zone of Nagarahole Tiger Reserve is appended as **Annexure-V.**
- 2. Zonal Master Plan for the Eco-Sensitive Zone of Nagarahole Tiger Reserve-**
- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of Competent Authority in the State Government.
 - (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
 - (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-
 - (i) Environment;
 - (ii) Forest and Wildlife;
 - (iii) Agriculture;
 - (iv) Revenue;
 - (v) Urban Development;
 - (vi) Tourism;
 - (vii) Rural Development;
 - (viii) Irrigation and Flood Control;
 - (ix) Municipal;
 - (x) Panchayati Raj;
 - (xi) Public Works Department.
 - (4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
 - (5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

- (6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps.
- (7) The Zonal Master Plan shall regulate development in the Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.
- (8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.
- (9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.
3. **Measures to be taken by the State Government.-** The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

1. **Land use.** - (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities.

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under the relevant State laws and other rules and regulations of Central or State Government as applicable and vide provisions of this notification, to meet the residential needs of the local residents such as:

- i. Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- ii. Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
- iii. Small scale industries not causing pollution;
- iv. Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
- v. Promoted activities and given under para 4

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under the relevant State laws and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

2. **Natural water bodies.** - The catchment areas of all natural springs/rivers/ channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan.
3. **Tourism/Eco-tourism.** - (a) All new Eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco- sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone;
- (b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests;
- (c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan;
- (d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone;
- (e) The activities of Eco-tourism shall be regulated as under, namely:-
- i. No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 km from the boundary of the Tiger Reserve or up to the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:
Provided that beyond the distance of 1 km from the boundary of the Tiger Reserve till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

- ii. all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the Eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism.
 - iii. until the zonal master plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities in the Eco-Sensitive Zone areas falling outside forest lands shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site-specific scrutiny and recommendation of the monitoring committee and no new hotels/ resorts or commercial establishment construction is permitted within Eco-Sensitive Zone Area.
4. **Natural Heritage.** - All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.
 5. **Man-made heritage sites.** - Buildings, structures, artifacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.
 6. **Noise pollution.** - Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986.
 7. **Air pollution.** - Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.
 8. **Discharge of effluents.** - Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government, whichever is more stringent.
 9. **Solid wastes.** - Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-
 - a. the solid waste disposal and management in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016 and as amended from time to time; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;
 - b. No burning or incineration of solid wastes and establishment of landfills shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.
 10. **Bio-medical waste.** - Bio medical waste management shall be as under:-
 - a. The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016; as amended from time to time.
 - b. No common treatment facility or incineration shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
 11. **Plastic Waste Management.** - The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.
 12. **Construction and Demolition Waste Management.** - The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.
 13. **E-waste.** - The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

14. **Vehicular traffic.** - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made there under.
 15. **Vehicular Pollution.** - Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws and efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.
 16. **Industrial Units.** –
 - a. On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.
 - b. Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in January 2025, as amended from time to time, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
 17. **Protection of Hill Slopes.** - The protection of hill slopes shall be as under:-
 - a. The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.
 - b. No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.
4. **List of activities Prohibited, or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-**

All activities in the Eco-Sensitive Zone of Nagarhole Tiger Reserve shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), Forest Act, 1927 (16 of 1927), Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980) and other applicable laws including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011, Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006, and amendments made thereto and other Acts prevalent in the State. The forest area coming under the Eco-sensitive Zone will remain to be governed under existing forest laws and amendments made thereto. The Karnataka Forest Act, 1963, Karnataka Forest Rules, 1969 and amendments made thereto. Subject to the provisions of this paragraph, the activities in the Eco-sensitive Zone shall be regulated in manner specified in the Table below, namely:-

Table

Sl. No	Activity	Description
A. Prohibited Activities		
1.	Commercial Mining, Stone quarrying and Crushing units	a. All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of <i>bona fide</i> local residents including digging of earth for construction or repair of houses within Eco-sensitive Zone; b. The mining operations shall be carried out in accordance with the order(s) of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995; dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012; and IA No. 1000 of 2003 dated the 03rd June, 2022. IA No. 131377 of 2022, judgment dated the 26th April, 2023 and the 28th April, 2023 and subsequent judgment dated the 23rd July 2025 in I.A Nos. 162023, 162034, 162154 and 162155 of 2025 or any further orders regarding mining.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-Sensitive Zone shall be permitted. Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-Sensitive Zone as per Classification of Industries in the guidelines issued by Central Pollution Control Board in January 2025 and as amended from time to time, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage or agro-based

		industries shall be promoted.
3.	Establishment of thermal and major hydroelectric project.	Prohibited as per applicable laws.
4.	Use, production or processing of any hazardous substances including pesticides and insecticides.	Prohibited as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited as per applicable laws.
6.	Establishment of solid waste disposal site and common incineration facility for solid and bio medical waste.	No new solid waste disposal site and waste treatment/processing facility of solid waste are permitted within Eco-sensitive Zone. Further, installation of common or individual incineration facility for treatment of any form of solid waste generated from industrial process and health establishment/hospitals etc. is prohibited.
7.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
8.	Setting up of brick kilns	Prohibited as applicable laws.
9.	Commercial use of firewood.	Prohibited as applicable laws.
10.	New wood based industry.	No establishment of new wood based industry shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
11.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the National Park area by any aircraft, hot-air balloons.	Prohibited as applicable laws.
B. Regulated Activities		
12.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundaries of the Tiger Reserve or up to the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected Area or up to the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
13.	Construction activities.	a. No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometer from the boundary of the Tiger Reserve or up to extent of the Eco- sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of Paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the locals such as: i. Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads; ii. Construction and renovation of infrastructure and civic amenities; iii. Small scale industries not causing pollution; iv. Cottage industries including village artisans; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism; and

		v. Promoted activities listed in this notification Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated at the minimum, with the prior permission from the Competent Authority as per applicable rules and regulations, if any. vi. Beyond one kilometre, it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
14.	Small scale non-polluting industries.	Non-polluting industries as per classification of Industries issued by the Central Pollution Control Board in January 2025 and as amended from time to time and non-hazards, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the Competent Authority.
15.	Felling of Trees.	a. There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government. b. The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made there under.
16.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated as per the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers [Recognition of Forest Rights] Act, 2006.
17.	Erection of electrical cables, transmission lines and telecommunication towers and laying of optical fiber cables, pipelines and other infrastructures.	Regulated under applicable laws. Promote underground cabling method.
18.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
19.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
20..	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Regulated under applicable law.
21.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
22.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
23.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
24.	Discharge of untreated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
25.	Commercial extraction of	Regulated under applicable law.

	surface and ground water.	
26.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
27.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws.
28.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
29.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
30.	Use of polythene bags.	Use of polythene bags are permitted within the Eco-sensitive Zone. However, based on specific requirement, it shall be regulated under applicable laws.
31.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
C. Promoted Activities		
32.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
33.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
34.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
35.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
36.	Use of renewable energy.	Bio gas, solar light etc. to be actively promoted.
37.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
38.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
39.	Use of Eco Friendly Transport.	Shall be actively promoted.
40.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
41.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
42.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee of the Nagarhole Tiger Reserve Eco-sensitive Zone.-

In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes a Committee to be called as the Monitoring Committee, to monitor and ensure the compliance with the provisions of this notification. The Monitoring Committee referred to in sub-paragraph (1) above, shall consist of the following members, namely:-

Sl. No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
1.	The Regional Commissioner, Mysore	Chairman;
2.	A representative of the Department of Environment, Government of Karnataka	Member;
3.	A representative of the Department of Urban Development, Government of Karnataka	Member;
4.	A representative of Non-governmental Organization working in the field of wildlife conservation to be nominated by the Karnataka State Forest Department	Member;
5.	Regional Officer, Karnataka State Pollution Control Board	Member;
6.	Member of State Biodiversity Board	Member;
7.	One expert in Ecology from reputed institution or university of the State of Karnataka	Member;

8.	The Deputy Commissioner, Mysore District and Kodagu District	Member;
9.	The Conservator of Forests/Deputy Conservator of Forests or the officer holding the post of Director, Rajiv Gandhi National Park/Nagarahole Tiger Reserve, Hunsur	Member Secretary/ Convener of the Monitoring Committee.

6. Terms of Reference.-

- (1) The Monitoring committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.
 - (2) The tenure of the Monitoring committee is for three (3) years or till the re- constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee would be constituted by the State Government.
 - (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
 - (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
 - (5) The Member Secretary of Monitoring Committee shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
 - (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
 - (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year or by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the state as per pro- forma given at **Annexure VI**.
 - (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
7. Additional Measures. - The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.
8. Supreme Court, etc. order. - The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

Annexure IA**Boundary description of Nagarahole Tiger Reserve**

Direction	Description
North	Gonikoppa Hunsur Highway upto the eastern, boundary of Kachuvanahalli and continued along the eastern boundary of Kachuvanahalli S.F. in south-east direction upto Lakshmanathirtha river and continue along with northern boundary of Veeranahosahalli S.F. upto Murkal Hunsur Road.
East	From the above said point the line continues along the eastern boundary of Veeranahosahalli S.F. Metikuppe S.F. and Kakanakote S.F. and touches Kabini Reservoir at Udhoor.
South	From Udhoor the line continues along the Southern boundary of Kakanakote S.F. upto Bavali where it touches the inter-state boundary between Karnataka and Kerala States.
West	From the above point the line continue along the inter-state boundary between Karnataka and Kerala States in northern direction, passes through Kymara upto the point where the western boundary of Nalkeri R.F. touches the said inter State Boundary. Then the line continues along the western boundary of Nalkeri R.F. Hatghat R.F. and Arekere R.F. and joins the starting point at Gonikoppa Hunsur Road.

Annexure IB

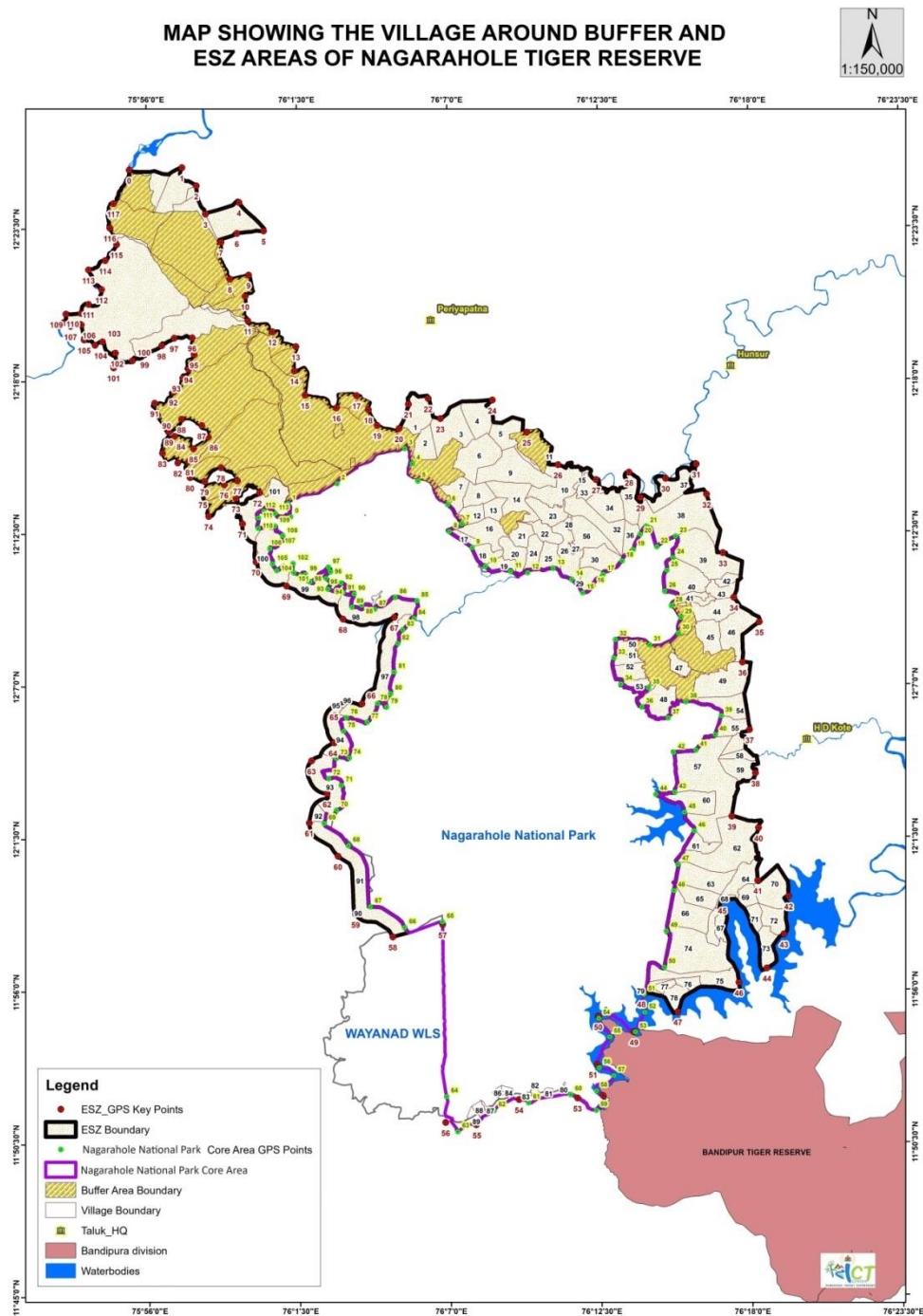
Boundary description of the Eco-sensitive Zone of the Nagarahole Tiger Reserve

Direction	Description
North	The line starts from right bank of Kaveri river at the Northwest corner of Lingapura village and runs along the Northern boundary of Lingapura Village, Doddaharave Forest upto the tri-junction bhand of Doddahosur, Doddaharave Forest and Aralikumari Village. Then the line passes along Jodukolli stream upto the tri-junction bhand of Kailasapura, Basavana eni and Doddaharave village. Then it runs along Northern, Eastern and Southern boundary respectively of Basavana Eni village upto tri-junction bhand of Doddaharave, Naviluru and Basavana Eni village. Then it runs Southwards along the Western boundary of Navalur village upto the tri junction bhand of Ayarabeedu, Lingapura and Naviluru Village; then it runs Eastwards on the Southern boundary of Naviluru Village; then it run Southwards through Ayarabeedu, Lingapura villages till it touches Northern Boundary of Anechowkur State Forest at Muttur Village. Then it runs Northern and Eastern boundary of Anechowkur State Forest through Muttur, Kaletimmanahalli, Sulagodu, Kogilawadi Lakshimpura and Habaturu and in southern Boundary of Abbalati till it joins the tri-junction point of Abalathi, Malangi and Anechowkur State Forest. Then the line runs on the Western and Northern boundary of Malangi and touches the tri-junction bhand of Malangi, Chowkur, and Mummadiaval village; then the line runs in the South East direction on the Eastern boundary of Malangi and touches the tri-junction point of Malangi, Chowkur and Vuttenahalli. Then the line passes along the Northern boundary of the Uttenahalli and Panchavalli and touches the tri-junction point of Itagahalli, Panchavalli and Sathegala kaval. Then the line runs in Eastern boundary of Panchavalli till it touches the Northern boundary of Beerathammanahalli village; then line runs along northern boundary of Beerathammanahalli upto junction bhand of Beerathammanahalli, Karlakuppe and Hemmige where it meets Muddanahalli SF; then it runs on the Northern and Eastern boundary of Muddanahalli Block SF till it touches the Northern Boundary of Hanagodu village; then it runs along the Northern boundary of Hanagodu, Hangodu Nala village till it touches the tri-junction bandh of Hanagodu Nala, Hegganduru and Kiranguru village; then the line runs in South East direction on the Eastern boundary of Kiranguru village and Northern boundary of Madahalli and Haralahalli and Penjahalli kaval and touches a point on the Western boundary of Ummathuru Village.
East	Then the line passes on Eastern side of Penjahalli Kaval and meets the Eastern Boundary of Sollepura SF and Runs along Eastern Boundary of Sollepura SF till it touches meets gadi bhand of Bheemanahalli, Yelehundi Kaval and Musakere; then the line runs in South East and South West direction on the Eastern boundary of Yelehundi Kaval and touches the tri-junction bandh of Yelehundi, Paduvakote Kaval and Annur of H.D. Kote Taluk; then the line runs on the Eastern boundary of Annur and Nanjanayakanahalli and touches the tri-junction point of Yedethore, Paduvakote Kaval and Nanjanayakanahalli; then the line runs in Southern direction on the Eastern boundary of Nanjanayakanahalli and touches the tri-junction point of Nanjanayakanahalli, Bhodhanur and Yedethore; then the line passes all along Northern and Eastern boundary of Bhodhanur village and touches the junction bhand of Bhodhanur village and Chakkodanahalli village; then the line runs all along the Eastern boundary of Chakkodanahalli and till it touches the gadi bhand of Chakkodanahalli village and Sonahalli village; then the line runs all along Eastern boundary of Sonahalli and meets the gadi bhand of Sonahalli village and Dasanapura village; then the line passes all along the Eastern boundary of Dasanapura and meets the gadi bhand of Dasanapura village and Akkadevanahalli village of H.D. Kote taluk; then the line runs in the same direction and meets the gadi bhand of Akkadevanahalli village and Naganahalli village; then the line runs on the Eastern boundary of Naganahalli village and meets the junction bhand of Naganahalli village and Hirehalli village; then the line runs in South direction on Eastern boundary of Hirehalli village and meets the junction bhand of Hirehalli village and Antharasanthe village; then the line runs all along the North and Eastern sides of Antharasanthe village and touches the gadi bhand of Antharasanthe, Nooralakuppe and Antharasanthe Kaval. Then the line runs on the Northern and Eastern boundary of Antharasanthe Kaval and touches the tri-junction point of Antharasanthe Kaval, Machyari and Nooralakuppe. Then the line runs on the Northern and Eastern boundary of Machyari and touches the boundary of Kabini River. Then the line runs in the Southern direction all along Kabini River passing through the Eastern boundary of Hosaholalu and Sogehalli. Then the line runs in the western direction on the southern boundary of Sogehalli and then in the northern direction on the Western boundary of Sogehalli along the Kabini River. Then the line runs in the Northern direction on the North Western boundary of Badanekuppe and Honnurkuppe along the Kabini river. Then the line runs in the Western direction till it touches the North Eastern boundary of Ragalakuppe. Then the line runs in the Southern direction along the Kabini river passing through the Eastern boundaries of Ragalakuppe, Halemagge, N. Belathur and Nisana. The line then runs in the Western direction on the southern

	boundary of Nisana along the Kabini river till it meets the North Eastern boundary of Gundathur village.
South	The line runs all along the Eastern, Southern and Western boundaries of Gundathur Village till it meets the South East bhand of Udaburu Village. Then the line runs in the Western direction all along Kabini river passing through the Southern boundary of Udboor village, Eastern and Southern boundary of Thenekallu village, Southern boundaries of Machur Village, Golur Village, Hosur Village, Netkalhundi, Anemala Village, Chikkabyranakuppe village, Doddabyranakuppe village, Thimmanahosahally Village, Vadakinamala & Kadegadde Village and meets the interstate gadi bhand of Kakanakote State Forest of Karnataka and Malabar State Forest of Kerala State.
West	From the above point the line continues along the inter-state boundary between Karnataka and Kerala States in Northern direction, passes through Kymara upto the point where the Southern boundary of Nalkeri Reserve Forest at Balle Murkal inter-state boundary point; then the line runs all along the Southern boundary of Nalkeri Reserve Forest and then up to 1 Km. distance from the western boundary of Nagarahole Tiger Reserve along southern boundary of Kutta village; then the line runs in North West direction and North East direction at a distance of 1 Km. from the Western boundary of Nagarahole Tiger Reserve till the line touches the Southern boundary of Badaga village; then the line runs in North East and North West direction at a distance of 1 Km. from the Western boundary of Nagarahole Tiger Reserve till it touches the Southern boundary of Nalkeri village; then the line runs in the North East direction at a distance of 1 Km. from the Western boundary of Nagarahole Tiger Reserve till it touches the Southern boundary of Kothur village; then the line runs in the North West and North East direction at a distance of 1 Km. from the Western boundary of Nagarahole Tiger Reserve till it touches the Southern boundary of Kanur village; then the line runs in the North West direction at a distance of 1 Km. from the Western boundary of Nagarahole Tiger Reserve till it touches the South Western boundary of Nittur village; then the line runs in North East direction at a distance of 1 Km. from the Western boundary of Nagarahole Tiger Reserve till it touches the Eastern boundary of Devanur village; then the line runs North West direction at a distance of 1 Km. from the Western boundary of Nagarahole Tiger Reserve till it touches the Eastern boundary of Balele village; then the line runs North West direction at a distance of 1 Km. from the Western boundary of Nagarahole Tiger Reserve till it touches the Southern boundary of Siddapura village; then the line runs in North West Direction at a distance of 1 Km. from the Western boundary of Nagarahole Tiger Reserve till it touches the South Eastern boundary of Nokya village; then the line runs at a distance of 1 Km. from the Western boundary of Nagarahole Tiger Reserve till it reaches the Southern boundary of Maukal Reserve Forest; then the line runs all along the Southern, Western boundary of Maukal Reserve Forest, and passes through western boundaries of Devamachi Reserve Forest, then it passes through Southern boundary & Western boundary of Dubare Reserve, at the end all along the Kaveri river meets the starting point.

Annexure II

Map of the Nagarahole Tiger Reserve and its Eco-sensitive Zone



Annexure-III A

List of prominent geo-coordinates of the boundary of Nagarhole Tiger Reserve

MAP ID	Latitude (N)	Longitude (E)
0	12.21850	76.02064
1	12.22644	76.01897
2	12.23831	76.04900
3	12.25922	76.09019
4	12.25008	76.09478
5	12.23967	76.09819
6	12.22544	76.11633
7	12.21378	76.12489
8	12.20925	76.11728
9	12.19958	76.13108
10	12.18828	76.13908
11	12.18514	76.15450
12	12.18442	76.16486
13	12.18700	76.18047
14	12.18022	76.19167
15	12.17211	76.19836
16	12.17606	76.20458
17	12.18328	76.21078
18	12.19122	76.22233
19	12.19794	76.22914
20	12.20717	76.23339
21	12.21200	76.23700
22	12.19967	76.24350
23	12.20589	76.25503
24	12.19311	76.25328
25	12.18553	76.24958
26	12.17300	76.24825
27	12.16794	76.25583
28	12.16419	76.25228
29	12.15706	76.25792
30	12.14775	76.25631
31	12.14078	76.23886
32	12.14392	76.21803
33	12.13292	76.21711
34	12.11731	76.22133
35	12.11492	76.23806
36	12.10350	76.23394
37	12.09686	76.24992
38	12.10647	76.26075
39	12.09800	76.28222
40	12.08658	76.27864

41	12.07747	76.26683
42	12.07606	76.25319
43	12.05217	76.25386
44	12.05100	76.24228
45	12.04006	76.25964
46	12.02886	76.26556
47	12.00886	76.25553
48	11.99297	76.25297
49	11.96881	76.24836
50	11.94711	76.24697
51	11.93072	76.23444
52	11.92003	76.23492
53	11.90842	76.22914
54	11.91647	76.20692
55	11.90539	76.21344
56	11.88686	76.20717
57	11.88214	76.21583
58	11.87300	76.20525
59	11.86139	76.20511
60	11.87083	76.18964
61	11.86600	76.16408
62	11.86156	76.14314
63	11.84892	76.12097
64	11.86986	76.11425
65	11.97472	76.11214
66	11.97153	76.08914
67	11.98414	76.06825
68	12.02083	76.05514
69	12.03417	76.04044
70	12.04208	76.04792
71	12.05703	76.05094
72	12.06119	76.04331
73	12.07322	76.04789
74	12.07353	76.05575
75	12.08964	76.05242
76	12.09761	76.05414
77	12.09492	76.06669
78	12.10608	76.07322
79	12.10403	76.07850
80	12.11197	76.08119
81	12.12500	76.08328
82	12.14208	76.08558
83	12.15036	76.08861
84	12.15717	76.09561
85	12.16772	76.09736
86	12.16989	76.08414

87	12.16278	76.07164
88	12.16511	76.06367
89	12.16414	76.05794
90	12.17192	76.05903
91	12.17300	76.05253
92	12.17856	76.05114
93	12.17497	76.04328
94	12.17875	76.04500
95	12.18144	76.04208
96	12.18531	76.04472
97	12.18811	76.04347
98	12.17939	76.03236
99	12.18378	76.02964
100	12.18319	76.02650
101	12.18481	76.02247
102	12.19036	76.02206
103	12.18878	76.01625
104	12.18625	76.01214
105	12.19014	76.00950
106	12.19936	76.00794
107	12.20278	76.01428
108	12.20722	76.01564
109	12.21286	76.01094
110	12.21164	76.00086
111	12.21783	76.00100
112	12.22186	76.00425
113	12.22050	76.01133

Annexure-IIIB**List of prominent geo-coordinates of the Eco-Sensitive Zone of Nagarhole Tiger Reserve**

MAP ID	Latitude (N)	Longitude (E)
0	12.42706	75.92297
1	12.42842	75.95508
2	12.41747	75.96381
3	12.40044	75.96936
4	12.40739	75.98981
5	12.39025	76.00472
6	12.38883	75.98847
7	12.38358	75.97867
8	12.36136	75.98417
9	12.36378	75.99547
10	12.35097	75.99331
11	12.33625	75.99489
12	12.32967	76.00981

13	12.32069	76.02414
14	12.30614	76.02314
15	12.29150	76.02961
16	12.28386	76.04875
17	12.29119	76.06114
18	12.28258	76.06822
19	12.27322	76.07356
20	12.27128	76.08683
21	12.28592	76.09258
22	12.28928	76.10461
23	12.27714	76.11203
24	12.28819	76.14378
25	12.27414	76.16597
26	12.24919	76.18358
27	12.24011	76.20669
28	12.24453	76.22683
29	12.22922	76.23378
30	12.24078	76.24906
31	12.24922	76.26778
32	12.23106	76.27408
33	12.20958	76.29914
34	12.19253	76.31047
35	12.16883	76.29072
36	12.15428	76.30631
37	12.08961	76.29944
38	12.06350	76.30300
39	12.03764	76.28847
40	12.03064	76.30464
41	11.99903	76.30414
42	11.98958	76.32286
43	11.96672	76.31986
44	11.94639	76.30939
45	11.98719	76.28250
46	11.93778	76.29236
47	11.92033	76.25511
48	11.93131	76.23508
49	11.90847	76.22828
50	11.91772	76.20656
51	11.88900	76.20597
52	11.87019	76.20936
53	11.86881	76.19383
54	11.86800	76.15828
55	11.85294	76.13225
56	11.85433	76.11361
57	11.97322	76.11214
58	11.96597	76.08186

59	11.97964	76.05925
60	12.01447	76.04864
61	12.03458	76.03128
62	12.05211	76.04217
63	12.07189	76.03281
64	12.08267	76.04658
65	12.10442	76.04653
66	12.10606	76.06358
67	12.15792	76.08356
68	12.15689	76.05222
69	12.17686	76.01792
70	12.19144	75.99939
71	12.21433	75.99117
72	12.23303	76.00181
73	12.22961	75.98739
74	12.21889	75.97064
75	12.23222	75.96725
76	12.23794	75.98022
77	12.24025	75.98822
78	12.24814	75.97822
79	12.23983	75.96831
80	12.24222	75.95947
81	12.25175	75.95844
82	12.25106	75.95200
83	12.25692	75.94267
84	12.26711	75.95003
85	12.25953	75.96158
86	12.26661	75.97064
87	12.27347	75.96664
88	12.27731	75.95436
89	12.26972	75.94669
90	12.27983	75.93972
91	12.28694	75.93794
92	12.29364	75.94942
93	12.30206	75.95519
94	12.30717	75.95872
95	12.31606	75.96214
96	12.32617	75.96094
97	12.32594	75.94997
98	12.32153	75.94239
99	12.31633	75.93214
100	12.31256	75.92444
101	12.30839	75.91303
102	12.31714	75.91408
103	12.32400	75.90633
104	12.32197	75.90172

105	12.32514	75.89508
106	12.33428	75.89344
107	12.33333	75.88683
108	12.33544	75.88228
109	12.34069	75.88403
110	12.34114	75.89325
111	12.34656	75.89789
112	12.35528	75.90589
113	12.36714	75.89800
114	12.37278	75.90817
115	12.38236	75.91500
116	12.39233	75.91100
117	12.40697	75.91325

Annexure-IV

List of villages falling in the Eco-Sensitive Zone of Nagarahole Tiger Reserve

A. Mysore District**i. Periyapatna Taluk**

Map ID	Villages	Area in Ha.	Latitude (N)	Longitude (E)	Remarks
1	Habaturu	48.302	12.26867	76.04978	Entire Village
2	Malangi	385.705	12.27969	76.09806	Entire Village
3	Alaluru	258.250	12.26031	76.10228	Entire Village
4	Vutthenahalli	240.166	12.26975	76.11717	Entire Village
5	Panchavalli	347.025	12.27742	76.13228	Entire Village
12	Kachavanahalli Jungle	95.976	12.20406	76.12700	Entire Village
Total		1375.424			

ii. Hunsur Taluk

Map ID	Villages	Area in Ha.	Latitude (N)	Longitude (E)	Remarks
6	Beerathammanahalli	180.754	12.26819	76.15289	Entire Village
7	Kademanuganahalli	374.739	12.25386	76.13419	Entire Village
8	Udavepura	167.494	12.23297	76.11978	Entire Village
9	Kallabuchanahalli	138.670	12.23119	76.13467	Entire Village
10	Neralakuppe	121.759	12.21933	76.13078	Entire Village
11	Kachuvinahalli	127.402	12.22250	76.14500	Entire Village
13	K.G. Habbanakuppe	370.889	12.20864	76.13961	Partial Village
14	Gowdikere	1.561	12.25647	76.17236	Entire Village
15	Hanugodu	566.374	12.23819	76.18800	Entire Village
16	Hanagodu Nala	44.905	12.24511	76.15692	Entire Village
17	Shettyhalli	45.784	12.22725	76.15667	Entire Village
18	Billenahosahalli	179.301	12.19578	76.13958	Entire Village
19	Konanahosahalli	139.711	12.18892	76.14931	Entire Village

20	Kolavige	246.883	12.19586	76.15650	Entire Village
21	Negathuru	174.511	12.20800	76.16019	Entire Village
22	Shindenahalli	193.950	12.20833	76.17581	Entire Village
23	Abburu	282.869	12.21933	76.17658	Entire Village
24	Mudhaganuru	206.914	12.19611	76.16833	Entire Village
25	Chikkahejjuru	219.788	12.19356	76.17819	Entire Village
26	Dodda Hejjuru	422.299	12.19550	76.18967	Entire Village
27	Dodda Hejjurukere Kaval	24.889	12.19892	76.19308	Entire Village
28	Dodda Hejjuru Kaval	33.634	12.21383	76.19014	Entire Village
29	Veeranahosahalli	172.574	12.18086	76.20206	Entire Village
30	Bharathawadi	347.693	12.19256	76.20903	Entire Village
31	Dasanapura	402.287	12.20692	76.20211	Entire Village
32	Hindagodlu	512.712	12.21533	76.20731	Entire Village
33	Kiranguru	194.008	12.23514	76.20244	Entire Village
34	Madhahalli	374.270	12.22453	76.21411	Entire Village
35	Haralahalli	324.423	12.22811	76.22797	Entire Village
36	Thuppadhakola	177.519	12.20517	76.22736	Entire Village
37	Penjahalli Kaval	467.008	12.23436	76.25247	Entire Village
38	Varanchi	945.135	12.20789	76.29253	Entire Village
Total		7282.71			

iii. Heggadadevanakote Taluk

Map ID	Villages	Area in Ha.	Latitude (N)	Longitude (E)	Remarks
39	Bheemanahalli	240.814	12.19439	76.27283	Entire Village
40	Rajegowdanahundi	209.643	12.18064	76.26003	Entire Village
41	Somagowdanahundi	72.137	12.16786	76.25797	Entire Village
42	Yalehundi Kaval	162.739	12.16747	76.26831	Entire Village
43	Yalehundi	175.680	12.17172	76.28292	Entire Village
44	Annuru	352.003	12.16000	76.27386	Entire Village
45	Hosahalli	261.643	12.14358	76.27108	Entire Village
46	Nanjanayakanahalli	378.499	12.14708	76.29131	Entire Village
47	Bommalapura	101.982	12.13192	76.25808	Entire Village
48	Metikuppe	351.517	12.11069	76.24961	Entire Village
49	Boodanuru	385.332	12.12000	76.28114	Entire Village
50	Gowdamachanahalli	103.907	12.14019	76.22572	Entire Village
51	Sollepura	121.993	12.13511	76.23597	Entire Village
52	Shiddapura	207.068	12.12547	76.23158	Entire Village
53	Agasanahundi	134.728	12.11778	76.23533	Entire Village
54	Chakkonahalli	227.386	12.10397	76.28678	Entire Village
55	Sonahalli	199.133	12.09114	76.28847	Entire Village
56	Dasanapura	132.145	12.08067	76.29089	Entire Village
57	Hirehalli	1614.358	12.05697	76.27353	Entire Village
58	Akkadevanahalli	114.858	12.07442	76.29222	Entire Village
59	Naganahalli	274.234	12.06608	76.29328	Entire Village
60	Penjahalli	408.829	12.04644	76.26536	Entire Village
61	Hunasekuppe	184.469	12.02053	76.26936	Entire Village

62	Antharasanthe	1076.125	12.02261	76.29342	Entire Village
63	Manchagowdanahalli	499.959	12.00050	76.27092	Entire Village
64	Antharasanthe Kaval	438.747	12.00050	76.29500	Entire Village
65	Ragalakuppe	288.777	11.98939	76.26806	Entire Village
66	Halemagge	482.157	11.97883	76.26164	Entire Village
67	Sondipura	129.741	11.97125	76.28178	Entire Village
68	Antharasanthe Plantation	46.132	11.98878	76.28486	Entire Village
69	Honnuru Kuppe	161.117	11.98964	76.29775	Entire Village
70	Machyari	451.430	11.99314	76.31339	Entire Village
71	Badanakuppe	145.640	11.97717	76.30225	Entire Village
72	Hosa Holalu	263.809	11.97539	76.31411	Entire Village
73	Sogahalli	280.783	11.95883	76.30953	Entire Village
74	Belathur	1051.539	11.95581	76.26567	Entire Village
75	Nishana	503.396	11.93953	76.27883	Entire Village
76	Karapura	149.914	11.93742	76.26136	Entire Village
77	Huralipura	70.850	11.93578	76.24722	Entire Village
78	Gundatthur	187.091	11.92936	76.25364	Entire Village
79	Udaburu	42.198	11.93283	76.23986	Entire Village
80	Macchuru	13.831	11.87389	76.18553	Entire Village
81	Gooluru	26.068	11.87236	76.17644	Entire Village
82	Hosuru	27.685	11.87278	76.16800	Entire Village
83	Nettakallahundi	9.239	11.87092	76.16442	Entire Village
84	Anemala	47.186	11.87231	76.15164	Entire Village
85	Chikka Byrana Kuppe	24.050	11.87308	76.14650	Entire Village
86	Dodda Byrana Kuppe	35.485	11.86878	76.14803	Entire Village
87	Thimmanahosahalli	25.470	11.86200	76.13892	Entire Village
88	Vadakanamala	63.847	11.86200	76.13436	Entire Village
89	Kadegadde	110.418	11.85664	76.13097	Entire Village
	Total	13069.2			

B. Kodagu District**i. Ponnampet Taluk**

Map ID	Villages	Area in Ha.	Latitude (N)	Longitude (E)	Remarks
90	Kutta	19.19	11.979 36	76.0599 7	Up to a distance of 1 Km from the boundary of the Nagarahole Tiger Reserve.
91	Badaga	1014. 82	11.999 50	76.0606 7	
92	Nalkeri	101.2 5	12.038 64	76.0384 7	
93	Kotthuru	574.0 7	12.064 44	76.0353 9	
94	Kanuru	370.7 8	12.086 81	76.0477 5	
95	Bekke Sodlur	49.07	12.102 56	76.0432 2	
96	Kottageri	15.27	12.106 64	76.0490 3	
97	Nittur	880.5 6	12.101 03	76.0610 8	
98	Devanuru	703.3 8	12.159 06	76.0611 4	

99	Balale	487.5 4	12.175 61	76.0360 8	
100	Siddapura	520.3 6	12.196 53	76.0035 6	
101	Nokya	697.6 1	12.229 94	76.0127 5	
	Total	5433. 90			

Annexure-V

List of the adjoining Reserve Forest Areas included in the Eco-Sensitive Zone of the Nagarhole Tiger Reserve

Sl. No	District	Name of the Forest	Administrative control	Area in Sq. Km.	GO No. & Date
Part of the Notified Buffer Zone					
1.	Mysore	Dodharve State Forest	Rajiv Gandhi National Park (Nagarahole Tiger Reserve)	47.40	390-FT-145-95. Dated 22-12-1900
2.	Mysore	Anechowkur and Mavakal State Forest		36.76	1173-FT-145-95. Dated 04-08-1900
3.	Mysore	Muddanahalli Block State Forest		31.28	A.F.-191.92-Ft. 204-48-2 Dated 11-07-1949
4.	Mysore	Sollepura State Forest		65.41	A.F.2661.Ft.192.41-5. Dated 12-11-1942
6.	Kodagu	Mawukal Reserve		33.52	55 Dated 03-11-1891
7.	Kodagu	Devammachi Reserve		38.00	55 Dated 03-11-1891
Total				252.37	

Adjacent Reserved Forest Area					
Sl. No	District	Name of the Forest	Administrative control	Area in Sq. Km.	GO No. & Date
1.	Kodagu	Dubari Reserve	Madikeri Forest Division	45.98	55 Dated 03-11-1891
2.	Mysore	Cauvery Block	Rajiv Gandhi National Park (Nagarhole Tiger Reserve)	4.01	556.Ft.-411-26-3 Dated 07-04-1927
Total				49.99	
Grand Total				302.36	

Annexure VI**Proforma of Action Taken Report- Nagarahole Tiger Reserve Eco-sensitive Zone Monitoring Committee:-**

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-Sensitive Zone Wise): Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinized for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinized for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under Section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

[F. No. 25/39/2016-ESZ-RE]

VED PRAKASH MISHRA, Jt. Secy